फरवरी 2017

मध्यप्रदेश पंचायिका

पंचायतों की मासिक पत्रिका

संरक्षक
गोपाल भार्गव
मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण, मध्यप्रदेश

प्रबंध सम्पादक
संतोष मिश्र

समन्वय
मंगला प्रसाद मिश्रा

परामर्श
शिवानी वर्मा
डॉ. विनोद यादव

सम्पादक
रंजना चितले

सहयोग
अनिल गुप्ता

वेबसाइट
आत्माराम शर्मा

आकल्पन
आलोक गुप्ता
विनय शंकर राय

एक प्रति : बीस रुपये
वार्षिक : दो सौ रुपये

सम्पर्क
मध्यप्रदेश पंचायिका
मध्यप्रदेश माध्यम
40, प्रशासनिक क्षेत्र, अरेरा हिल
भोपाल-462011
फोन : 2764742, 2551330
फैक्स : 0755-4228409
Email : panchayika@gmail.com

कृपया वार्षिक ग्राहक बनने के लिए अपने ड्राफ्ट/मनीआर्डर मध्यप्रदेश माध्यम, भोपाल के नाम से भेजें।

मध्यप्रदेश पंचायिका में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं, इसके लिए सम्पादक की सहमति अनिवार्य नहीं है।

इस अंक में...

नगर उदय अभियान : मध्यप्रदेश का सम्पूर्ण विकास ही सरकार का लक्ष्य 5
खास खबरें : अब गाँवों में भी होंगी खेल सुविधाएं 8
महात्मा गांधी नरेगा लेख : महात्मा गांधी नरेगा ने मजबूत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था 9
महात्मा गांधी नरेगा : सफल गाथा : कपिलधारा कूप से खेती बनी लाभ का धंधा 12
महात्मा गांधी नरेगा : शांतिधाम : शांतिधाम में अंतिम संस्कार करना हो रहा आसान 14
महात्मा गांधी नरेगा : विशेष लेख : गांधी जी और दीनदयाल उपाध्याय जी की परिकल्पना... 15
महात्मा गांधी नरेगा उपयोजना : आम आदमी के सपनों को लगे पंख 18
पंचायत : डिजिटल क्रांति की संवाहक ग्राम पंचायत कोदरिया 20
उद्यम : प्रतिदिन चालीस हजार लीटर दूध का उत्पादन कर रचा कीर्तिमान 22
पंचायत गजट : जिला और जनपद पंचायतों को मूलभूत अनुदान राशि का वितरण 24

संपादक जी,

सुशासन के 11 वर्ष पर विशेषांक को पढ़ा। मध्यप्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण विकास के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं की सारगर्भित जानकारी आपने प्रकाशित की है, जो ग्रामीण अंचलों में निवासरत लोगों के लिए बेहद उपयोगी है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत प्रदेश को खुले में शौच से मुक्त करवाने के प्रयास अब रंग ला रहे हैं। शहरों के साथ अब गाँव भी स्वच्छता के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। गाँवों में अधोसंरचनात्मक विकास हो रहे हैं। ग्रामीणों को नये आजीविका के साधन मिल रहे हैं। यह निश्चय ही कह सकते हैं प्रदेश विकास पथ पर अग्रसर है।

- सचिन मोरे
सनावद रोड, खरगौन (म.प्र.)

संपादक जी,

मध्यप्रदेश में कृषि के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हुआ है। प्रदेश में कृषि लाभ का धंधा साबित हो रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में सभी बुनियादी सुविधाएँ मुहैया करवाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश में ग्रामीण विकास योजनाओं का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन हो रहा है। मध्यप्रदेश पंचायिका के दिसम्बर अंक में इन योजनाओं की जानकारी प्रकाशित की गई है, जो संग्रहणीय है। प्रदेश के ग्रामीण विकास का मूल कारण है गाँवों में आधारभूत सुविधाएँ होना। गाँवों में पक्की सड़कें, नालियाँ, पेयजल, स्वच्छता और शिक्षा जैसी सुविधाएँ मिलने से गाँव अब शहरों से कम नहीं हैं।

- रोहित उपासे
नेहरू नगर, भोपाल (म.प्र.)

संपादक जी,

कैशलेस अर्थव्यवस्था और डिजिटल मध्यप्रदेश पर केन्द्रित अंक पढ़ा। डिजिटल लेनदेन से मौद्रिक लेनदेन तो आसान होगा ही साथ ही अर्थव्यवस्था में भी पारदर्शिता आयेगी। इसमें कैशलेस अर्थव्यवस्था और डिजिटल लेनदेन के बारे में बताया गया है। प्रदेश में इनके प्रचार-प्रसार के लिए डिजिटल मेले भी लगाए गए थे, जो बेहतर कदम है। डिजिटल मध्यप्रदेश का सपना तभी पूरा होगा जब ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोग कैशलेस तरीकों को अपनाएं। इसके लिए जरूरी है कि इसका ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार-प्रसार किया जाए।

- मनीष सेन
गुरुकृपा स्टूडियो, खुरई, जिला-सागर (म.प्र.)

संपादक जी,

देशभर में सबको आवास उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई जा रही है। इस योजना का उद्देश्य वर्ष 2022 तक देश के सभी आवासहीन लोगों को आवास उपलब्ध कराना है। सरकार द्वारा इस दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है। आम आदमी इस योजना से कैसे जुड़ सकता है, इस योजना के लिए आवश्यक पात्रता क्या है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग कैसे लाभान्वित हो सकते हैं। इसकी जानकारी यदि आप पंचायिका पत्रिका में विस्तृत रूप से प्रकाशित करें तो ये करोड़ों गरीब और आवासहीन लोगों के लिए लाभकारी सिद्ध होगी। मेरा सुझाव है कि इस योजना पर विशेषांक भी प्रकाशित करें।

- सुधीर देउस्कर
अधिवक्ता, खुरई, जिला सागर (म.प्र.)

मंत्री जी का मार्गदर्शन

प्रिय पाठकगण

बिन्दु से विराट का सिद्धांत प्रकृति का है, प्रकृति का संपोषण तभी संभव है जब प्रत्येक बिन्दु विराट और विस्तार के आयाम से जुड़ा हो। सृष्टि निर्माण का यह सिद्धान्त शासन और उसकी योजनाओं पर भी लागू होता है। जब तक कोई निर्णय, कोई नीति, कोई योजना, कोई कार्यक्रम व्यापक फलक लिए नहीं होगा उसके सुपरिणाम सुनिश्चित नहीं होंगे। इसी बात को ध्यान में रखकर मध्यप्रदेश में 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना' के तहत भौगोलिक परिस्थिति और आवश्यकता अनुरूप कुछ व्यवहारिक पक्ष शामिल किये गये और उपयोजनाओं का निर्माण किया गया। अब महात्मा गांधी नरेगा केवल जरूरतमंदों को रोजगार देने भर का निहितार्थ नहीं, बल्कि आधुनिक विकास के आधार पर ग्रामोत्थान का वाहक हो गया है। इसके तहत अब महात्मा गांधी नरेगा कन्वर्जेन्स कर उपयोजनाओं का निर्माण किया गया जो प्रदेश के लिए उपयोगी और कारगर साबित हुई हैं। इससे ग्रामीणों को विकास की मुख्य धारा में लाने के आयाम विकसित हुए हैं।

आयोजना के विस्तार की यह कड़ी अनवरत है। इसी श्रृंखला में बदली जरूरतों में सबसे ज्यादा दबाव कृषि उपज पर है। इसके लिए सिंचाई जरूरी है। इसके लिए कपिलधारा उपयोजना बनाई गई जिसमें 3 लाख 52 हजार से अधिक कुओं का निर्माण किया जा चुका है। इसी उपयोजना को और विस्तारित कर खेत तालाब के साथ जोड़ दिया है, जिससे खेत का पानी खेत में रहने के साथ कुएं रिचार्ज भी होंगे। ग्रामीण क्षेत्र में सुव्यवस्थित मार्ग हो, लोग निर्बाध गति से चल सकें, इसके लिए गांव के आंतरिक मार्गों और नालियों का पक्का होना जरूरी है। इसके लिए पंच-परमेश्वर योजना के अभिसरण से सीमेंट-कांक्रीट सड़क एवं पक्की नाली का निर्माण किया जायेगा। आज के बच्चे भारत का भविष्य हैं, उनके मानसिक और बौद्धिक विकास के साथ सशक्त और स्वस्थ शारीरिक चेतना जरूरी है। इसके लिए क्रीड़ांगन जरूरी है। इसीलिए अब महात्मा गांधी नरेगा से क्रीड़ांगन बनेगा। मध्यप्रदेश में आज भी ऐसे गांव हैं जहां जीवन की अंतिम यात्रा के शांतिधाम नहीं हैं। लोग खेतों में अथवा यहां-वहां अंतिम संस्कार करते हैं। मध्यप्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रत्येक गाँव में शांतिधाम बनेगा, निर्माण का यह कार्य भी अब महात्मा गांधी नरेगा उपयोजना के तहत होगा। मध्यप्रदेश के गाँवों को सड़क संपर्क से जोड़ने के लिए गांव के मजरे, टोले से लेकर खेत-खलिहान तक सुदूर ग्राम संपर्क व खेत सड़क उपयोजना से सड़कों का निर्माण किया जायेगा ताकि गाँव का सुचारु आवागमन सुनिश्चित हो सके।

महात्मा गांधी नरेगा में इन आयामों को जोड़ देने से ग्रामीण क्षेत्र में जरूरतमंदों को नियमित रोजगार मिलेगा, सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी, सशक्त संपर्क व्यवस्था निर्मित होगी और आंतरिक मार्ग स्वच्छ रहेंगे, बच्चों के भविष्य निर्माण और अंतिम यात्रा के लिए शांतिधाम, इन सब उद्देश्यों को सार्थक करती इन योजनाओं की विस्तृत जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपसे संपर्क के लिए मध्यप्रदेश पंचायिका द्विपक्षीय माध्यम है। इसके द्वारा आप अपनी बात भी पहुँचा सकते हैं।

भविष्य में यह संवाद निरन्तर रहेगा। पंचायिका में प्रकाशित योजनाओं का लाभ अवश्य लें।

शुभकामनाओं सहित।

(गोपाल भार्गव)

मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास,

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण, मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश में महात्मा गांधी नरेगा कन्वर्जेंस से सार्थक होते सपने

प्रिय पाठको,

हर बार की तरह पंचायिका का यह अंक आपके हाथ में है। हम सबके लिए प्रसन्नता की बात है कि इस अंक में एक और विशेष पक्ष समाहित है वह है हमारे पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण मंत्री जी का मार्गदर्शन।

वस्तुत: सभी योजनाओं के निर्माण में मंत्री जी की परिकल्पना और मार्गदर्शन हमारे साथ रहता है। उनके विचार को व्यवहार में क्रियान्वित कर आप तक पहुंचाने का विभाग द्वारा प्रयास भी किया जाता है।

अब पंचायिका के माध्यम से उनका पाठक, पंचायत प्रतिनिधियों और हितग्राहियों से सीधा जुड़ाव एक आत्मीय अनुभव रहेगा।

मध्यप्रदेश पंचायिका का यह अंक मध्यप्रदेश में 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना' में उपयोजनाओं से होने वाले विशेष लाभ और बदलाव पर केन्द्रित है।

स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण हो, पात्र हितग्राही को ही लाभ मिले, किसानों की आय को दुगुना करना, खेती को लाभ का व्यवसाय बनाना मध्यप्रदेश सरकार का संकल्प है। अधोसंरचना, संपर्क और सिंचाई सुविधा का विस्तार तथा बच्चों के सर्वांगीण विकास और जीवन की अंतिम यात्रा को केन्द्र में रखकर महात्मा गांधी नरेगा के तहत उपयोजनाओं का निर्माण किया गया। इनमें कपिलधारा उपयोजना, सुदूर ग्राम संपर्क व खेत सड़क उपयोजना, पंच-परमेश्वर योजना से सीमेंट-कांक्रीट सड़क एवं पक्की नाली निर्माण, ग्रामीण क्रीड़ांगन उपयोजना तथा शांतिधाम उपयोजना शामिल हैं।

पंचायिका के इस अंक में हम इन उपयोजनाओं की विस्तृत जानकारी और मार्गदर्शन के लिए आदेश प्रकाशित कर रहे हैं। पंचायतकर्मी इन दिशा-निर्देशों को जान-समझकर पात्र हितग्राही को लाभान्वित कर सकते हैं क्योंकि इस संपूर्ण प्रक्रिया में पंचायतों की महत्वपूर्ण भूमिका है। एक और बात हमने विशेष रूप से प्रकाशित की है, वह है ग्राम पंचायत सचिव पद की पात्रता, भर्ती नियम तथा वेतनमान ताकि पंचायत स्तर तक यह विषय स्पष्ट हो सके।

हमें आपकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा है। अपनी प्रतिक्रिया पत्रों के माध्यम से अवश्य भेजें।

(संतोष मिश्र)
आयुक्त, पंचायत राज

मध्यप्रदेश का सम्पूर्ण विकास ही सरकार का लक्ष्य

सम्पूर्ण मध्यप्रदेश का विकास ही राज्य सरकार का संकल्प है। इसे साकार करने के लिये राज्य सरकार आने वाले पाँच सालों में शहरी विकास के लिए 86 हजार करोड़ रुपये खर्च करेगी। राज्य सरकार का उद्देश्य मध्यप्रदेश को समृद्ध, विकसित वैभवशाली और गौरवशाली बनाकर विश्व पटल पर स्थापित करना है। यह बात मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर में नगर उदय अभियान को संबोधित करते हुए कही। इसके पहले मुख्यमंत्री श्री चौहान ने 70 करोड़ से अधिक की लागत के विकास कार्यों का भूमि-पूजन एवं लोकार्पण भी किया। राज्य स्तरीय कार्यक्रम में 85 हजार 303 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया जिनमें जबलपुर नगरीय क्षेत्र के 67 हजार 86 हितग्राही शामिल थे।

शहर विकास के इंजन

मुख्यमंत्री ने शहरों को विकास के इंजन की संज्ञा दी। उन्होंने कहा कि शहर रोजगार के साधन हैं, विकास का दर्पण हैं। प्रदेश के 378 शहरों में प्रदेश की 30 प्रतिशत आबादी निवास करती है। इस आबादी के प्रत्येक पात्र हितग्राही को शासन की योजनाओं का लाभ मिले, यह हमारा उद्देश्य है।

एक मई से प्रदेश में पालीथीन पर बैन

मुख्यमंत्री ने एक मई 2017 से सम्पूर्ण प्रदेश में पालीथीन पर बैन लगाने का ऐलान भी किया। उन्होंने पालीथीन को पर्यावरण प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण बताया। उन्होंने कहा कि पालीथीन का विकल्प कागज और कपड़े की थैलियों के रूप में तैयार किया जा रहा है जिनके अधिकाधिक उपयोग का आह्वान उन्होंने जनता से किया।

31 मार्च तक सभी शहरों को करेंगे खुले में शौच से मुक्त

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 31 मार्च तक प्रदेश के सभी शहरों को खुले में शौच के अभिशाप से मुक्त कराने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि अब तक प्रदेश के 60 शहर खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं। यह एक बुराई है जिसके विरुद्ध हमारा स्वच्छ भारत

मिशन चल रहा है। उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित सभी नागरिकों को खुले में शौच न जाने और अपने शहर को स्वच्छ बनाने का संकल्प दिलाया। श्री चौहान ने कहा कि यह अभियान मानसिकता में बदलाव लाने का अभियान है जो जनमानस की सहभागिता के बिना पूर्ण नहीं हो सकता।

प्रदेश के सभी 378 शहरों में स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था की जाएगी

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी 378 शहरों में नल-जल योजनाओं के माध्यम से शुद्ध पेयजल मुहैया करवाने के लिए सरकार कृत-संकल्पित है। बहुत से शहरों में नल-जल योजनाओं के माध्यम से पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित की जा चुकी है। जिन शहरों में पेयजल की समस्या है वहाँ शीघ्र ही नल-जल योजना बनाकर कार्य करवाया जाएगा।

प्रदेश के सभी शहरों में सीवरेज सिस्टम स्थापित होगा

मुख्यमंत्री ने शहरों में सबसे बड़ी समस्या सीवरेज सिस्टम न होना बताया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में 40 शहरों के लिए सीवरेज सिस्टम की योजना बनाई गई है जिसमें सीवरेज के पानी को ट्रीटमेंट प्लांट में ले जाकर और ट्रीट कर पाइप के जरिए बगीचों में छोड़ा जाएगा। उस पानी को नदियों में मिलने से रोका जाएगा। शीघ्र ही प्रदेश के सभी शहरों में सीवरेज सिस्टम स्थापित करने की दिशा में राज्य सरकार कदम उठाएगी।

20 शहरों में दौड़ेंगी 2100 बसें

- **प्रदेश में एक दिन में एक समय पर 12 लाख 68 हजार 480 हितग्राहियों को किया गया लाभान्वित।**
- **जबलपुर में कार्यक्रम के दौरान 85 हजार 303 हितग्राही हुए लाभान्वित।**
- **साइकिल रिक्शा चालकों को उपलब्ध करवाये जायेंगे ई-रिक्शा।**

राज्य स्तरीय नगर उदय अभियान में सम्पूर्ण प्रदेश में शहरी यातायात की व्यवस्था दुरुस्त करने की दिशा में राज्य सरकार द्वारा उठाए जा रहे बड़े कदम की जानकारी भी मुख्यमंत्री ने दी। उन्होंने कहा कि 20 शहरों में 450 करोड़ रुपए की लागत से 2100 बसों की व्यवस्था की जा रही है। इससे शहरी यातायात व्यवस्था बेहतर हो सकेगी।

हर नागरिक होगा जमीन का मालिक

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश की धरती में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को जमीन का मालिक बनाया जाएगा। इसके लिए बजट सत्र में राज्य सरकार कानून बनाने जा रही है। इससे प्रदेश में रहने वाले सभी लोगों के पास जमीन होगी। ऐसा कानून बनाने वाला मध्यप्रदेश पहला राज्य होगा। जरूरतमंद नागरिकों को या तो जमीन के भूखण्डों का प्राधिकार पत्र दिया जाएगा या मकान। श्री चौहान ने आने वाले दो वर्षों में जरूरतमंदों के लिए शहरी क्षेत्र में 5 लाख मकान बनाने की बात भी कही।

प्रतिभाशाली उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों की फीस का वहन राज्य सरकार करेगी

मुख्यमंत्री ने कहा कि कक्षा 12वीं में 85 प्रतिशत से अधिक अंक लाने वाले प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा के लिए आईआईटी, आईआईएम, मेडिकल, इंजीनियरिंग, यहाँ तक कि नर्सिंग शिक्षा में चयन होने पर फीस का भुगतान राज्य सरकार करेगी। श्री चौहान ने कहा कि 85 प्रतिशत से कम अंक लाने के बाद भी उच्च शिक्षा में बेहतर शिक्षण संस्थानों में चयन होने पर राज्य सरकार द्वारा बिना ब्याज के ऋण विद्यार्थियों को उपलब्ध करवाया जाएगा जिसका भुगतान नौकरी लगने के बाद किया जा सकेगा।

ऑनलाइन मिलेगी भवन बनाने की अनुमति

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि नगरीय निकायों में भवन बनाने की अनुमति के लिए अब शहरवासियों को भटकना नहीं होगा। उन्होंने कहा कि नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा कार्य सुगम करने और पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से अपने घर का नक्शा पास कराने के लिए ऑनलाइन व्यवस्था प्रारंभ की जाने वाली है। इसमें आवेदक ऑनलाइन आवेदन कर बिना चक्कर काटे अपने घर का नक्शा पास करा सकेंगे।

किसानों को बीमा दावा राशि का वितरण

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में देश की अब तक की सबसे बड़ी बीमा दावा राशि में मध्यप्रदेश के सवा लाख किसान और लाभान्वित होंगे। इन किसानों को 244 करोड़ 14 लाख रुपये की राशि वितरित की जायेगी। इसके पहले प्रदेश के 20 लाख 46 हजार किसानों को 4416 करोड़ की बीमा दावा राशि दिसम्बर माह में वितरित की जा चुकी है। अब तक प्रदेश में 21 लाख 71 हजार किसानों को 4660 करोड़ रुपये दावा राशि के रूप में मिले हैं। यह राशि खरीफ-2015 में अति-वृष्टि और ओला-वृष्टि से क्षतिग्रस्त हुई फसलों के एवज में किसानों को दी गयी है। योजना में जुड़े अतिरिक्त सवा लाख किसानों को मिलने वाली बीमा दावा राशि 244 करोड़ रुपये सभी संबंधित बैंक की शाखाओं को जारी कर दी गयी है। अगले एक सप्ताह में यह राशि किसानों के खाते में समायोजित कर दी जायेगी। इस बीमा दावा राशि में राज्य सरकार ने अपनी ओर से 122 करोड़ रुपये दिये हैं। इसके पहले सरकार ने 4416 करोड़ बीमा दावा राशि में अपनी ओर से 2208 रुपये का अंश दिया था। खरीफ-2015 में प्रभावित ऐसे किसान, जो बीमा राशि मिलने से छूट गये थे, को शामिल करने के लिये मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने विशेष पहल की थी। उनके निर्देश पर पुन: उन प्रकरणों की विवेचना की गयी, जो लाभान्वित होने से छूट गये थे। लाभान्वित किसानों में एक लाख 15 हजार 438 किसान सोयाबीन, 3263 किसान मक्का, 2419 किसान धान, 1698 किसान मूँगफली और 850 किसान तुअर दाल की क्षति वाले शामिल हैं।

शासन की योजनाओं से कोई नहीं रहेगा वंचित

नगर उदय अभियान के तहत प्रदेश के सभी 378 नगरीय निकायों में एक साथ हितग्राही सम्मेलनों के आयोजन की कड़ी में सागर में भी हितग्राही सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं के पात्र हितग्राहियों को चेक एवं सामग्री प्रदान कर लाभान्वित किया गया।

कार्यक्रम में मध्यप्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने कहा कि शासन ने जनता के कल्याण के लिए अनेक योजनायें बनाई हैं। पात्र हितग्राहियों को चिन्हित कर शासन की योजनाओं का लाभ प्रदान किया जा रहा है। कोई भी पात्र हितग्राही शासन की योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि अब पूर्व की भांति जनता को विभिन्न शासकीय कार्यालयों के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं है। अब सरकार घर-घर सूचना देकर हितग्राहियों को एक ही स्थान पर लाभ पहुंचा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार सभी के रहने के लिए आवास की व्यवस्था कर रही है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने हर व्यक्ति को जिसके पास रहने के लिए जमीन नहीं है उन्हें पट्टा देने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि सागर शहर में आवास योजना के तहत लगभग 5 हजार पक्के मकान बनाये जाने का कार्य किया जा रहा है, जो पात्र हितग्राहियों को प्रदान किये जायेंगे। सभी को पक्के मकान उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। विकास एवं जनकल्याणकारी कार्यों में सरकार कोई कमी नहीं रहने देना चाहती है। जनता की समस्याओं को निराकृत करने का कार्य सरकार द्वारा तेजी से किया जा रहा है। सागर शहर का तेजी से विकास हो रहा है।

> **शासन ने जनता के कल्याण के लिए अनेक योजनायें बनाई हैं। पात्र हितग्राहियों को चिन्हित कर शासन की योजनाओं का लाभ प्रदान किया जा रहा है। कोई भी पात्र हितग्राही शासन की योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रहेगा। सागर शहर में आवास योजना के तहत लगभग 5 हजार पक्के मकान बनाये जाने का कार्य किया जा रहा है।**

विधायक श्री शैलेन्द्र जैन ने कहा कि इस हितग्राही सम्मेलन के माध्यम से 2235 हितग्राहियों को अधिकार पत्र प्रदान किये जा रहे हैं। सरकार रोटी, कपड़ा, मकान सहित जनता की सभी आवश्यकताओं को पूरा कर रही है। सागर में 300 करोड़ रुपये की सीवर लाइन बनाने के लिए शासन से स्वीकृति प्राप्त हुई है। महापौर श्री अभय दरे ने कहा कि शासन द्वारा समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है। नगरोदय अभियान के तहत कई हितग्राही लाभान्वित हो रहे हैं। पात्र हितग्राहियों को अपने प्लॉट पर निर्माण करने के लिए ढाई लाख रुपये की राशि शासन द्वारा दी जायेगी।

अब गाँवों में भी होंगी खेल सुविधाएं

प्रदेश में शहरों की तरह ग्रामीण क्षेत्रों में भी खेलों की सुविधायें उपलब्ध कराने की भरपूर कोशिश की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। इन प्रतिभाओं को खेलने का अवसर प्रदान करने के लिए सरकार प्राथमिकता से कार्य कर रही है।

यह बात प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने ग्राम चौका भेड़ा में नवनिर्मित स्टेडियम के लोकार्पण एवं विधायक कप 2017 की खेल प्रतियोगिता के शुभारम्भ अवसर पर कही।

श्री भार्गव ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्रदान की गई 80 लाख रुपये की राशि से नवनिर्मित स्टेडियम का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा सभी विधान सभाओं में एक-एक स्टेडियम का निर्माण कराया जा रहा है। जिसके तहत बण्डा विधानसभा में यह स्टेडियम बनकर तैयार हुआ है। यह हम सभी के लिए खुशी की बात है। बच्चों को खेलने के लिए स्टेडियम की बहुत अच्छी सौगात मिली है।

इस स्टेडियम में एक इण्डोर स्टेडियम भी पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर से बनवाने की कोशिश की जायेगी। साथ ही बण्डा विधानसभा में ग्रामीण क्षेत्र में एक और स्टेडियम शासन से स्वीकृत कराने की कोशिश की जायेगी।

उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में खेल के क्षेत्र में कोई कमी नहीं रहने दी जायेगी। ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाओं के लिए जिम की भी व्यवस्था की जायेगी। उन्होंने ग्राम चौका भेड़ा में 50 लाख रुपये की लागत का सामुदायिक भवन इसी माह स्वीकृत कराने का आश्वासन भी दिया।

पंच-परमेश्वर योजना में जनसंख्या के आधार पर मिलेगी अनुदान राशि

राज्य शासन ने पंच-परमेश्वर योजना में जनसंख्या के आधार पर अनुदान राशि देने के दिशा निर्देश जारी किये हैं। योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं का सर्वांगीण विकास करना है। यह राशि 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर दी जायेगी।

अपर मुख्य सचिव ग्रामीण विकास श्री राधेश्याम जुलानिया ने सभी कलेक्टर, जिला और जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को दिये निर्देश में कहा है कि 2000 तक की जनसंख्या वाले गाँव को 5 लाख, 2001 से 5000 जनसंख्या वाले गाँव को 8 लाख, 5001 से 10000 आबादी वाले गाँव को 10 लाख और 10 हजार से अधिक जनसंख्या वाले गाँव को 15 लाख रुपये की अनुदान राशि दी जाये।

योजना में चौकीदार, गाँव में सड़क, सार्वजनिक स्थानों की सफाई व्यवस्था में पारिश्रमिक और सामग्री के लिये 2000 से कम आबादी वाले को 30 हजार, 2001 से 5000 तक 45 हजार, 5001 से 10000 तक 80 हजार और 10 हजार से अधिक आबादी वाले गाँव को डेढ़ लाख की अनुदान राशि दी जायेगी। इसी तरह स्टेशनरी, कम्प्यूटर स्टेशनरी और अन्य सामग्री के लिये 2000 आबादी के गाँव को 10 हजार, 2001 से 5000 तक 15 हजार, 5001 से 10 हजार से अधिक आबादी वाले गाँव को 20 हजार रुपये की अनुदान राशि दी जायेगी।

ग्राम पंचायत एवं सामुदायिक भवनों के रख-रखाव और मरम्मत तथा सामुदायिक मांगलिक भवन के विद्युत व्यय के लिये 2000 से कम आबादी वाले गाँव को 25 हजार, 2001 से 5000 तक 30 हजार, 5001 से 10 हजार तक 40 हजार और 10 हजार से अधिक आबादी वाले गाँव को 50 हजार रुपये की अनुदान राशि मिलेगी। ग्राम पंचायत कार्यालय के बिजली बिल तथा बिजली संबंधी मरम्मत के लिये 2000 से कम आबादी के गाँव को 15 हजार तथा 2001 से लेकर 10 हजार से अधिक आबादी वाले गाँव को 20 हजार रुपये की राशि दी जायेगी। लेखे-जोखों के संधारण और डाटा एन्ट्री के लिये 10 हजार रुपये प्रति गाँव दी जायेगी। टी.व्ही. कनेक्शन, सार्वजनिक पर्व तथा अन्य आकस्मिक खर्चों के लिये 2000 से कम आबादी वाले गाँव को 10 हजार, 2001 से 5000 तक 30 हजार तथा इससे अधिक आबादी वाले गाँव को 50 हजार रुपये की राशि दी जायेगी।

योजना में दी जाने वाली राशि से गाँव में सीमेंट-कांक्रीट सड़क, पक्की नाली, पंचायत भवन निर्माण, शांतिधाम, कब्रिस्तान का उन्नयन, एलईडी लाइट की व्यवस्था आदि कार्य किये जायेंगे।

महात्मा गांधी नरेगा ने मजबूत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था

दस साल में गांवों तक पहुंचे बत्तीस हजार करोड़ रुपये

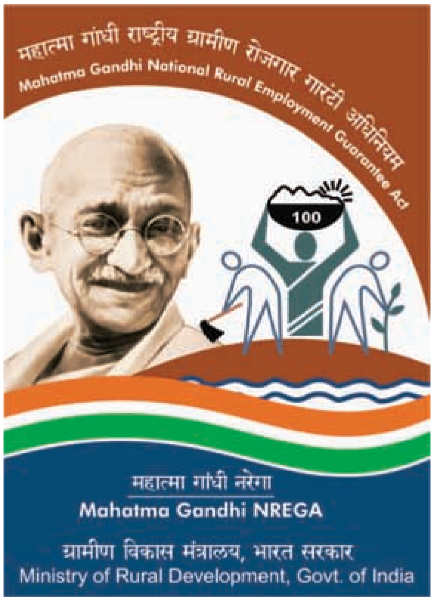

मध्यप्रदेश में योजना प्रारंभ से अब तक लगभग 200 करोड़ दिन का रोजगार ग्रामीण परिवारों को मिला है और मजदूरी के रूप में श्रमिकों को तकरीबन बीस हजार करोड़ रुपये मिले हैं। यानि 10 सालों में औसतन प्रतिवर्ष दो हजार करोड़ रुपये से अधिक उनके खातों में पहुंचे हैं। यह बहुत बड़ी रकम है जो ग्रामीण परिवारों को मिली है। इतना ही नहीं, इन्हीं परिवारों को महात्मा गांधी नरेगा की हितग्राही मूलक योजनाओं का सीधे-सीधे लाभ मिला है जिससे उनकी आजीविका के स्थायी स्त्रोत बने हैं। मजदूरी के अलावा भी सामग्री एवं अन्य मदों पर व्यय हुई कुल राशि इकतीस हजार करोड़ के लगभग है।

भारत की आत्मा गांवों में बसती है। आजादी के कई बसरों तक गांव आर्थिक संसाधनों एवं मूलभूत आवश्यकताओं से मरहूम रहे। सरकारी योजनाएं अब तक सिर्फ शहरों तक आकर थम जाती रहीं। गांवों के विकास के लिये कुछ एक योजनायें बनीं भी पर गांव के विकास के लिये नाकाफी रहीं।

एक दशक पहले महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना "मनरेगा" देश में लागू हुई जिसने गांव के विकास का ताना-बाना बुनना शुरू किया और गांव के जन जीवन के सामाजिक-आर्थिक ढांचे में आमूल-चूल परिवर्तन ला दिया।

इस योजना ने न केवल गांव के आधारभूत ढांचे को तैयार किया वरन् गांवों में बड़ी मात्रा में मजदूरी भुगतान की राशि, ग्रामीणों को अर्द्धकुशल कार्य का मेहनताना और सामग्री भुगतान के लिये राशि पहुंचायी। संभवत: आजादी के बाद देश के इतिहास में इतने बड़े पैमाने पर किसी योजना को लागू किया गया है।

दिन-प्रतिदिन शहरीकरण होने से गांवों की आम जनता काम की तलाश में शहरों की ओर पलायन करने लगी और शहरों पर आबादी का दबाव बढ़ने लगा और इससे शहरों में झुग्गी और गंदी बस्तियों का निर्माण होने लगा। गांव के लोग काम की तलाश में कुछ दिनों के लिये शहरों में आते और कुछ दिन काम करके पुन: गांव लौट जाते। सरकार के सामने यह बड़ी चुनौती थी। इससे निपटने के लिये मनरेगा जैसी योजना सामने आयी। जिसका मूल ध्येय ग्रामीण परिवार को साल में 100 दिन (वनाधिकार पत्रधारकों को 150 दिन) का काम मुहैया कराना था, जिससे ग्रामीणजन पलायन न कर सकें और काफी हद तक सरकार इस उद्देश्य में सफल भी रही। आज गांव के ऐसे लोग जो काम न मिलने पर काम की तलाश में शहरों की ओर रुख करते थे वह लगभग समाप्त-सा हो गया है।

मध्यप्रदेश में योजना प्रारंभ से अब तक लगभग 200 करोड़ दिन का रोजगार ग्रामीण परिवारों को मिला है और मजदूरी के रूप में श्रमिकों को तकरीबन बीस हजार करोड़ रुपये मिले हैं। यानि 10 सालों में औसतन प्रतिवर्ष दो हजार करोड़ रुपये से अधिक उनके खातों में पहुंचे हैं। यह बहुत बड़ी रकम है जो ग्रामीण परिवारों को मिली है। इतना ही नहीं, इन्हीं परिवारों को मनरेगा की हितग्राही मूलक योजनाओं का सीधे-सीधे लाभ मिला है जिससे उनकी आजीविका के स्थायी स्त्रोत बने हैं। मजदूरी के अलावा भी सामग्री एवं अन्य मदों पर व्यय हुई कुल राशि इकतीस हजार करोड़ के लगभग है।

मनरेगा में सबसे लाभदायक साबित हुयी है "कपिलधारा" उपयोजना। मध्यप्रदेश की भौगोलिक स्थिति एवं मानसूनी जलवायु न होने के कारण यहां सिंचाई सुविधा का अभाव रहा है। ऐसी स्थिति में जरूरी था किसानों के लिये सिंचाई की पुख्ता सुविधा। यह पूरी की कपिलधारा उपयोजना ने। मध्यप्रदेश में योजना प्रारंभ से 3 लाख 52 हजार से अधिक कपिलधारा कुओं का निर्माण कराया जा चुका है। एक आकलन के मुताबिक जिन हितग्राहियों के यहां कुएं बनाये गये उन्होंने साल में दो से तीन फसलों के साथ सब्जियां भी लेना शुरू कर दी हैं। अभी तक बरसाती फसल पर निर्भर रहकर दूसरों के यहां मजदूरी करने वाले अब अपनी ही जमीन पर खेती कर भविष्य के सपने बुनने में लगे हैं।

एक आकलन के मुताबिक प्रदेश में 3 लाख 52 हजार कुएं बन जाने से लगभग 4 लाख 69 हेक्टेयर सिंचित रकबे में बढ़ोत्तरी हुई है। जिससे रबी फसल 35.175 लाख क्विंटल तक बढ़ी है। रबी फसलों में गेहूं, चना, सरसों आदि के उत्पादन से लगभग 879.37 करोड़ रुपये की आमदनी उन

छिंदवाडा की ग्राम पंचायत चिखलीमुकासा में बनी सुदूर सड़क

गांव की एक पगडंडी जहां पैदल चलना भी मुश्किल था आज वहां बड़े वाहन दौड़ रहें हैं क्योंकि पगडंडी चौड़ी सड़क में तब्दील हो गई है। यह संभव हो पाया है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से। हम बात कर रहे हैं जिले के अमरवाड़ा विकासखंड की ग्राम पंचायत चिखलीमुकासा की। चिखलीमुकासा में महात्मा गांधी नरेगा से सुदूर संपर्क सड़क का निर्माण कराया गया है। यह सड़क अब ग्रामीणों के लिए उपयोगी साबित हो रही है। सड़क बनने से सुगम हुए आवागमन के कारण लगभग 150 परिवार विकास की मुख्यधारा से जुड़ गए हैं। सरपंच श्रीमती शिवकुमारी कंगाली ने बताया कि इस मार्ग पर पहले पैदल चलना भी दूभर था। सड़क की चौड़ाई मात्र 5 फीट थी और वह भी असमतल। इस सड़क पर ग्रामीणों की बैलगाड़ी तक ठीक से नहीं चल पाती थी। पैदल चलने में भी कठिनाई थी। इस सड़क से चिखलीमुकासा के बुडकुमटोला में रहने वाले लगभग 150 परिवार परेशानी का सामना कर रहे थे।

इस समस्या को देखते हुए ग्राम पंचायत द्वारा यहाँ महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की सुदूर सड़क संपर्क उपयोजना से सड़क निर्माण कराए जाने का प्रस्ताव लिया गया। वर्ष 2015-16 में दो भागों में इस सड़क को प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। प्रथम भाग में 13 लाख रुपये की लागत से चनेरी-अमरवाड़ा मुख्य मार्ग से जानकुंवर के घर तक 650 मीटर एवं द्वितीय भाग में 14 लाख रुपये की लागत से जानकुंवर के घर से भखतलाल के घर तक 550 मीटर सड़क का निर्माण कराया गया।

रास्ते से हटा अतिक्रमण- इन दोनों मार्गों की चौड़ाई पहले मात्र 5 फीट थी। शेष भूमि पर किसानों द्वारा अतिक्रमण किया गया था। ग्राम पंचायत द्वारा किसानों को जब सड़क की चौड़ाई से होने वाले फायदे और उपयोगिता के बारे में बताया गया तो सभी किसानों ने सहर्ष अतिक्रमण छोड़ दिया और सड़क बनवाने में मदद भी की। सड़क निर्माण के बाद इसकी चौड़ाई 5 फीट से बढ़कर 20 फीट हो गई। अब इस सड़क पर ट्रेक्टर, ट्रक और माल वाहन दौड़ रहे हैं।

स्वास्थ्य, शिक्षा और आर्थिक स्थिति में सुधार- ग्रामीण बखतलाल, अजय उइके, राजाराम, राधेलाल, राधेश्याम, मिश्रीलाल, जानकुंवर, बाबूलाल आदि ने बताया कि लगभग मजरे-टोलों में रहने वाले लगभग 150 परिवार इन सड़कों के बनने से लाभांवित हुए हैं। पहले बच्चों को स्कूल जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। बारिश में तो हालत बदतर थी। परिवार में यदि कोई बीमार पड़ जाए या महिला को प्रसव के लिए ले जाना हो तो वाहन यहां तक नहीं पहुंच पाता था। बड़ी मुश्किल से उपचार करा पाते थे। किसानों के खेतों में पैदा होने वाली उपज बाजार तक पहुंचाने में भी परेशानी का सामना करना पड़ता था।

सड़क बनने से जननी एक्सप्रेस हो या फिर माल वाहन हो अब आसानी से इन बस्तियों तक पहुंचने लगे हैं। बच्चों के लिए स्कूल की राह भी अब आसान हो गई है। किसानों की उपज सीधे बाजार तक पहुंचने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ है। महात्मा गांधी नरेगा से बनी इस सड़क ने विकास को पंख लगा दिए हैं।

• मनोज बारस्कर

हितग्राहियों को होने लगी है जिनके यहां कपिलधारा कूप खुदवाये गये थे। एक अनुमान के मुताबिक रबी फसल के अलावा 93,800 हेक्टेयर भूमि में सब्जी और फलोद्यान से सालाना औसतन 40 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 375.20 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आमदनी भी होने लगी है। इस तरह सालाना 1254.57 करोड़ रुपये की आमदनी कपिलधारा कूप के हितग्राहियों को होने लगी है।

यह तो केवल एक उपयोजना से हुए लाभ के बारे में है। इसके अलावा भी उद्यानिकी, पशुपालन, कृषि में सुधार, घरों में शौचालय निर्माण आदि ने ग्रामीण परिवारों की स्थायी आजीविका निर्मित कर उन्हें सामाजिक-आर्थिक रूप से समृद्ध बनाया है। इसके अलावा सामुदायिक उपयोजनाओं से ग्रामीणों को मिल रहे फायदे की तो गणना ही नहीं की जा सकती। पशुधन विकास योजना के तहत ग्रामीणों के यहां बनाए गए पशु शेड, मुर्गी शेड, बकरी शेड ने पशुपालकों को पशुपालन के लिए प्रोत्साहित किया है। वहीं उद्यानिकी विकास कार्यों ने ग्रामीणों की अतिरिक्त आमदनी को बढ़ाने के साथ फल उत्पादन कर ग्रामीणों को कुपोषण जैसी समस्याओं से निपटने में मदद पहुंचायी है। मनरेगा से खेती में सुधार करने की दिशा में भी निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी दिशा में 'मेरा खेत, मेरी माटी उपयोजना' से खेतों को उपजाऊ बनाया जा रहा है, जिससे किसानों को कम लागत में ज्यादा उत्पादन मिलने लगा है। वनवासी संवर्धन उपयोजना के माध्यम से वनाधिकार पट्टाधारियों को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं।

मनरेगा की सामुदायिक उपयोजना जैसे आंतरिक पथ ने ग्रामीण बसाहटों में सीमेण्ट कांक्रीट सड़कों के माध्यम से स्वच्छता का माहौल बनाया है जिससे अब ग्रामीण इलाकों में गंदगी के कारण पनपने वाली बीमारियों पर रोक लगी है। वृक्षारोपण के कारण हरियाली तथा ग्रेवल सड़कों के कारण आवागमन सुगम हुआ है। यहां तक कि किसानों के खेतों तक सड़क बन जाने से उनके खेतों तक कृषि

यंत्र पहुंचने लगे हैं। जल संरक्षण के कामों से भू-जल स्तर में सुधार हुआ है। जिससे ट्यूबवेल और कुओं में लगभग साल भर पानी रहने लगा है जो अक्सर दिसम्बर का महीना आते-आते खत्म हो जाता था।

इसके अलावा मनरेगा तथा अन्य योजनाओं के अभिसरण से बनाए गये ग्राम पंचायत भवन, आंगनवाड़ी भवन, अनाज गोदाम आदि ने ग्रामीणों की सामुदायिक जरूरतों को पूरा किया है। इन सामुदायिक उपयोजनाओं ने ग्रामीण इलाकों में मूलभूत सुविधाओं को विकसित किया है। मनरेगा की ग्रामीण क्रीड़ांगन उपयोजना ने ग्रामीण खेल प्रतिभाओं को निखरने के लिए जमीन तैयार की है। वहीं शांतिधाम उपयोजना के तहत बनाये गये श्मशान में शवदाह के लिए शेड, निस्तार के लिए पानी तथा छाया के लिए वृक्षारोपण काफी कारगर साबित हो रहा है। इस तरह मनरेगा के माध्यम से न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक रूप से मजबूती मिली

है बल्कि सामाजिक सरोकार, स्वच्छता, पेयजल, पर्यावरणीय कारकों को भी बल मिला है।

इस योजना ने ग्रामीणों को रोजगार के अवसर मुहैया कराने के साथ ही मजदूरों की मोलभाव करने की शक्ति (बार्गेनिंग पावर) भी बढ़ायी है। आज ग्रामीण मजदूर अन्य जगह काम करने के लिए मनरेगा की दैनिक मजदूरी से ज्यादा मजदूरी की मांग करता है। ग्रामीण क्षेत्र के कमजोर वर्ग को आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान कर मनरेगा ग्रामीण विकास में मील का पत्थर साबित हुई है।

● **अनिल गुप्ता**
मीडिया अधिकारी
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद, भोपाल

किसानों का खेत तक पहुंचना हुआ आसान

खेत सड़क के जरिए मजदूरों को मिला रोजगार

बालाघाट जिले की जनपद पंचायत वारासिवनी की ग्राम पंचायत मदनपुर में वर्ष 2015-16 में मनरेगा के खेत सड़क संपर्क उपयोजना से कासपुर से ढोंडी तक 600 मी. सड़क निर्माण कराया गया। सड़क की तकनीकी स्वीकृति क्रमांक 369 दिनांक 18.9.2015 एवं प्रशासकीय स्वीकृति क्रमांक 15 दिनांक 12.10.15 स्वीकृत लागत राशि 3.17 लाख की है।

यह सड़क ग्राम पंचायत मदनपुर से कोस्ते-कासपुर मार्ग की मुख्य सड़क को जोड़ता है। साथ ही ग्राम पंचायत मदनपुर के कृषकों के खेतों में जाने का एक सुलभ मार्ग भी है। निर्माण कार्य से पूर्व यह सड़क बहुत ही जर्जर स्थिति में एवं बरसात के दिनों में दलदल युक्त गड्ढों में तब्दील हो जाती थी। ग्रामीण कृषकों को अपने खेतों में जाने के लिये बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता था। ग्रामीणों की इन समस्याओं को देखते हुए ग्राम की जनता के मांग के आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा कार्य को स्वीकृत करवाकर निर्माण कार्य करवाया गया। साथ ही इस निर्माण कार्य से लगभग 210 जॉबकार्डधारियों को रोजगार प्राप्त हुआ। इस सड़क से ग्राम पंचायत मदनपुर के कृषकों के साथ-साथ ग्राम पंचायत कोस्ते एवं ग्राम पंचायत कासपुर के किसानों को, जिनकी कृषि भूमि इस रोड पर स्थित है, के लिये आवागमन की सुगम सुविधा मिल गई है। ग्राम पंचायत कोस्ते एवं कासपुर के कृषक सड़क बनने से काफी खुश हैं।

● **प्रस्तुति - भूपेन्द्र नामदेव**

कपिलधारा कूप से

खेती बनी लाभ का धंधा

खेती को लाभ का धन्धा बनाने में महात्मा गाँधी नरेगा की उपयोजना कपिलधारा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। सिंचित खेती को बढ़ावा देने में महात्मा गांधी नरेगा के तहत कराया गया कूप निर्माण खेती को लाभ का धन्धा बनाने में सहायक सिद्ध हो रहा है।

योजना प्रारंभ से सीधी जिले में तकरीबन चार हजार से अधिक कुओं का निर्माण किया जा चुका है, जिससे लगभग छह हजार हेक्टेयर रकबे में सिंचाई क्षमता में बढ़ोत्तरी हुई है।

कपिलधारा कुआं बन जाने से बंजर जमीन अब हरी-भरी दिखाई देती है। जिन हितग्राहियों के यहां कपिलधारा कुआं बना है वे अब साल में दो से तीन फसल लेने लगे हैं। उनकी सालाना आमदनी बढ़ जाने से वे सामाजिक और आर्थिक रूप से संपन्न हो गये हैं।

इसी का एक उदाहरण है सीधी जिले की जनपद पंचायत मझौली की ग्राम पंचायत अमेढ़िया के रहवासी सीता प्रसाद लोनी का। जिन्हें महात्मा गांधी नरेगा से कपिलधारा कुएं का लाभ मिला है। सीता प्रसाद तथा उनकी पत्नी मीना का मुस्कराता चेहरा खुशहाली की दास्तां बयां करता है।

सीता प्रसाद बताते हैं कि उनकी इस 3 एकड़ 25 डिस्मिल जमीन पर वह अब अपने सपनों की खेती कर रहे हैं। वह और उनकी पत्नी खूब मेहनत करते हैं। उनकी मेहनत ने सफलता के नये सोपानों को छू लिया है। इसी का नतीजा है कि गुजरे बरस उन्होंने बढ़िया किस्म की 786 नम्बर धान 26 क्विंटल उत्पादित की है। इसके पहले वह इस खेत से धान की खेती करने के बारे में सोचते भी न थे।

इतना ही नहीं, इसी खेत में 12 क्विंटल गेहूं व 7 क्विंटल चना भी पैदा किया है। धान की पैदावार इतनी बढ़िया रही कि धान का बीज बेचने वाली कम्पनी ने उन्हें मॉडल कृषक घोषित करते हुए पुरस्कृत भी किया है। खेत खाली होने के बाद उसी जमीन पर 70 क्विंटल टमाटर, 03 क्विंटल मिर्ची, 10 हजार मूली व 04 हजार गोभी के फूल भी उत्पादित किये हैं।

मेहनत का पूरा लाभ देने वाली 'महात्मा गांधी नरेगा उपयोजना' से कपिलधारा कूप निर्माण की बदौलत उसने अपना पक्का मकान भी तैयार कराया है।

कपिलधारा बनने से बदली श्याम की किस्मत

बैतूल जिला मुख्यालय के समीपस्थ ग्राम साकादेही में रहने वाला कृषक श्याम अपनी एक हेक्टेयर पुश्तैनी जमीन पर सिंचाई के अभाव में केवल कोदो-कुटकी और थोड़ा-बहुत सोयाबीन ही उगा पाता था। इस स्थिति के चलते उनके लिए अपने परिवार का पेट पालना भी मुश्किल होता था। जमीन होने के बाद भी उसे घर चलाने के लिए मजदूरी करनी पड़ती थी। लेकिन श्याम की किस्मत ऐसी पलटी कि उसके खेत में कुआं बनने के बाद अब वह बारह महिने फसल ले रहा है। यह सब संभव हुआ मनरेगा के तहत बने कपिलधारा कूप की बदौलत। इस उपयोजना ने गरीब कृषक को उन्नत कृषक की श्रेणी में ला दिया है।

कोदो-कुटकी से होता था गुजारा

श्याम अपनी एक हेक्टेयर जमीन में पानी की कमी और सिंचाई का कोई साधन नहीं होने के कारण केवल बारिश में कोदो-कुटकी और थोड़ा-बहुत सोयाबीन ही उगा पाता था। इससे साल भर खाने की व्यवस्था भी मुश्किल से हो पाती थी। घर का खर्च चलाने के लिए उसे मजदूरी पर जाना पड़ता था। इस स्थिति के चलते पंचायत ने उसके खेत में कपिलधारा कूप योजना के तहत कुआं खुदवाया। इसके बाद उसकी किस्मत ही पलट गई। आज वह कृषि वैज्ञानिकों से सलाह लेकर खेती कर रहा है और इसका लाभ उसे भरपूर उत्पादन के रूप में मिल रहा है।

अब होने लगी आमदनी

श्याम ने बताया कि पहले सिंचाई का कोई साधना न होने से गेहूं और सब्जियां उगाना सपने की तरह हुआ करता था। घर का खर्च चलाने के लिए मजदूरी पर जाना पड़ता था, लेकिन कुआं बनने से सिंचाई का साधन मिल गया। अब खेत में काम करते ही पूरा दिन निकल जाता है, मजदूरी पर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। उन्होंने बताया कि अब हमारी आमदनी साल भर में अस्सी हजार से अधिक हो जाती है।

संजीवनी साबित हुआ कुआं

महात्मा गांधी नरेगा से बनाया गया कुआं श्याम के लिए संजीवनी साबित हुआ है। जिसने श्याम को मजदूर से उन्नत कृषक बना दिया है। कुएं से सिंचाई के कारण उनके खेत में अब गेहूं की भरपूर पैदावार हो रही है। श्याम की आमदनी बढ़ जाने से उनका परिवार आज खुशहाली का जीवन जीने लगा है। इस साल श्याम ने अपनी जमीन में गेहू की फसल बोई है जिससे लगभग चालीस क्विंटल गेहूं के उत्पादन की उम्मीद है। श्याम ने आधा एकड़ जमीन में सब्जी का उत्पादन भी शुरू कर दिया है।

● **प्रस्तुति : प्रीति नीखरा**

लहलहाने लगी बंजर जमीन

कुएं ने बदल दी आदिवासी की तकदीर

विकासखण्ड बैतूल की ग्राम पंचायत सिल्लौट के आदिवासी किसान जिल्लू कपिलधारा कूप में निकले पानी को देखकर फूले नहीं समाते। सिंचाई के इंतजाम से अब उनकी सूखी पड़ी रहने वाली तकरीबन एक एकड़ जमीन सब्जियों की पैदावार से आज हरी-भरी है। उन्हें अगले मौसम में गेहूं की अच्छी उपज होने की उम्मीद है। तकरीबन पांच साल पहले एक लाख पिच्यानवे हजार की लागत से जिल्लू की जमीन पर ग्राम पंचायत ने मनरेगा के तहत कपिलधारा कुआं स्वीकृत किया था। कुआं स्वीकृत होते ही कुएं की खुदाई का कार्य प्रारंभ हुआ। कुएं की खुदाई और बंधाई में उनके परिवार और गांव के लोगों को काम की मजदूरी मिली और कुआं भी बन गया। कुएं से निकले भरपूर पानी की बदौलत जिल्लू की जमीन सब्जी की फसल उपजा रही है। जिल्लू के बड़े लड़के उदय ने बताया कि 14 लोगों के परिवार के पास जमीन होने बावजूद उसमें पैदावार न के बराबर होती थी। पर कुआं बन जाने से साल भर खाने के लिये गेहूं और सब्जी की व्यवस्था हो गयी है। खेती की पैदावार बढ़ जाने से बच्चों की पढ़ाई भी अच्छी तरह से होने लगी है। सालाना आमदनी और उपज बढ़ जाने से परिवार का जीवन स्तर सुधर गया है। कपिलधारा कुएं से सिंचाई कर साग-सब्जी का उत्पादन भी होने लगा है।

● **प्रस्तुति : अभिषेक सिंह**

जिन्दगी के साथ भी-जिन्दगी के बाद भी
शांतिधाम में अंतिम संस्कार करना हो रहा आसान

जीवन बीमा निगम का एक जुमला है "जिन्दगी के साथ भी-जिन्दगी के बाद भी"। इसी तरह का जुमला मनरेगा में भी लागू होता दिख रहा है। मनरेगा की शांतिधाम उपयोजना भी कुछ इसी तरह की है। जिसमें लोगों को रोजगार के अवसर, आजीविका के साधन के साथ-साथ मूलभूत जरूरतें मुहैया करायी जा रही हैं। इसके अलावा अंतिम संस्कार के लिये बेहतर सुविधा के इंतजाम किए जा रहे हैं। मृत्यु के पश्चात मृत शरीर का अंतिम संस्कार सम्मानजनक रूप से करना भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। परन्तु ग्रामीण क्षेत्रों में अंतिम संस्कार की समुचित व्यवस्था न होने से ग्रामीणों के लिये अंतिम क्रिया करने में तकलीफ उठानी पड़ती थी। मनरेगा की शांतिधाम उपयोजना ने ग्रामीणों की इस समस्या को हल कर दिया।

मनरेगा का मूल ध्येय गांव के ग्रामीण परिवारों को साल में सौ रोज के काम के साथ-साथ स्थायी परिसंपत्तियों का सृजन करना है। ऐसी ही मनरेगा की एक उपयोजना "शांतिधाम" उपयोजना है जिसमें गांवों में सार्वजनिक स्थल पर अंतिम संस्कार के लिये शेड, पानी की व्यवस्था, बाउंड्री तथा छायादार वृक्षों का रोपण कराया जाता है।

प्रदेश में शांतिधाम उपयोजना से लगभग 9000 से अधिक काम पूरे हो चुके हैं। अब प्रत्येक ग्राम में आबादी के हिसाब से कम से कम एक शांतिधाम बनाने की योजना मध्यप्रदेश सरकार की है। इसके लिए नवीन दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं। जिसके मुताबिक जनगणना 2011 के अनुसार 2000 से कम आबादी वाले ग्रामों में एक प्लेटफार्म वाला शांतिधाम तथा 2000 से अधिक आबादी वाले ग्रामों में दो प्लेटफार्म वाले शांतिधाम का निर्माण किया जायेगा। एक शवदाह के लिए शांतिधाम की लागत राशि रुपये 1.80 लाख तथा दो शवदाह के लिए शांतिधाम की लागत राशि रुपये 2.45 लाख निर्धारित की गयी है। शांतिधाम में पानी की व्यवस्था के लिए हैंडपंप सहित टंकी बनाने के लिए मानक लागत राशि रुपये 1.00 लाख जिसकी व्यवस्था सांसद निधि, विधायक निधि, जिला एवं जनपद पंचायतों को दिये जाने वाले मूलभूत अनुदान, पंचायत कर एवं शुल्क से आय तथा जन-सहयोग से की जा सकेगी।

शांतिधाम निर्माण हो जाने से ग्रामीणों को अंतिम संस्कार करने में सहुलियत हुई है। विशेषकर बरसात जैसे मौसम में। पहले ग्रामीणों को खुली जगह में अंतिम संस्कार करना मुश्किल भरा होता। यहां तक कि अंतिम संस्कार के लिये गंतव्य तक जाने में भी काफी कठिनाई होती थी। पर शांतिधाम उपयोजना ने इन सारी तकलीफों को दूर कर दिया है। मनरेगा की शांतिधाम उपयोजना से अंतिम संस्कार के लिये चबूतरा, छाया के लिये शेड के साथ-साथ अंतिम संस्कार स्थल तक आवागमन का रास्ता, पानी के लिये कूप निर्माण, आस-पास बाउन्ड्री तथा वृक्षारोपण के कार्य कराये गये हैं। कई जगह तो शांतिधाम इतने खूबसूरत बने हैं कि इनकी सुंदरता देखते ही बनती है। शांतिधाम उपयोजना का एक फायदा यह भी हुआ कि गांव में शासकीय जमीन पर होने वाला अतिक्रमण रुका है। ऐसी जगहों पर गांव की शासकीय जमीन को दुरुस्त कर आस-पास बाउन्ड्री निर्मित कर अंतिम संस्कार करने के लिये आवश्यक सुविधाओं का इंतजाम किया गया है।

● सचिन गंगराडे
(लेखक पत्रकार व स्तंभकार हैं)

गांधी जी और दीनदयाल उपाध्याय जी की परिकल्पना को साकार करता है महात्मा गांधी नरेगा

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को संक्षेप में हम 'महात्मा गांधी नरेगा' के नाम से जानते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की समस्या को हल करके वर्ष में 100 दिन का रोजगार देना है। गाँवों में अधिकांशतः लोग खेती-किसानी का व्यवसाय करते हैं। इसके अलावा कुछ लोग वानिकी, उद्यानिकी, मुर्गी-मछली पालन, दूध बेचने आदि का व्यवसाय भी करते हैं। इसके अलावा छोटे-छोटे कुटीर और गृह उद्योग भी हैं। इन सबसे वर्ष भर का रोज़गार नहीं मिल पाता। इस प्रसंग में मनरेगा एक रोज़गार मूलक योजना है।

मनरेगा का मूल उद्देश्य महात्मा गांधी की अन्त्योदय तथा पं. दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद की परिकल्पना को साकार करना है। यह हमारे प्रधानमंत्री जी की ग्रामोदय से भारत-उदय की अवधारणा को अमली जामा पहनाता है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को संक्षेप में हम 'मनरेगा' के नाम से जानते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की समस्या को हल करके वर्ष में 100 दिन का रोजगार देना है। गाँवों में अधिकांशतः लोग खेती-किसानी का व्यवसाय करते हैं। इसके अलावा कुछ लोग वानिकी, उद्यानिकी, मुर्गी-मछली पालन, दूध बेचने आदि का व्यवसाय भी करते हैं। इसके अलावा छोटे-छोटे कुटीर और ग्रह उद्योग भी हैं। लेकिन इन सबसे सालभर का काम सबको नहीं मिल पाता। जहां तक कृषि का मुद्दा है। परिवार बढ़ने के कारण जोतें छोटी होती जाती हैं। जिन लोगों के पास न्यूनतम पांच एकड़ जमीन है उन्हें छोड़कर शेष के मामले में खेती लाभ का व्यवसाय नहीं रह गया है। विशेषकर सीमान्त कृषकों के मामले में जिनके पास एक-दो एकड़ या इससे भी कम जमीन है।

इस प्रसंग में मनरेगा एक रोजगार मूलक योजना है जो बेरोजगार ग्रामीणों के लिए बहुत कुछ स्थानीय रूप से रोजगार देती है। इसमें पंचायतों की निर्णायक भूमिका है क्योंकि यह काम उन्हीं के माध्यम से मिलता है। भारत सरकार ने मनरेगा को बहुत महत्व दिया है और 2017-2018 के बजट में इसके

लिए 48 हजार करोड़ से अधिक की धनराशि का प्रावधान किया है। इस योजना के तहत मुख्यतः ऐसे काम कराये जाते हैं जो स्थायी उपयोग के हों। ऐसा नहीं है कि आज गड्ढे खोदे और कल बरसात में भर गये या मिट्टी डाली और वह बह गई। इस दृष्टि से मनरेगा के तहत काम कराने के लिए योजना बनाने तथा लक्ष्य निर्धारित करने के साथ-साथ श्रमिकों को भुगतान में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की जरूरत रहती है।

यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि योजना का लाभ सुपात्र हितग्राही तक पहुंचे।

तदनुसार विकास आयुक्त कार्यालय की ओर से समय-समय पर विस्तृत निर्देश जारी किए जाते हैं। अधिकांश कामों में छोटे निर्माण शामिल होने के कारण मामूली अभियांत्रिकी भी लगती है। अतः प्रमुख अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी समय-समय पर आवश्यकतानुसार गाइडलाइन देते रहते हैं। जिला स्तर पर मनरेगा का संयोजन, संचालन और नियंत्रण जिलाध्यक्ष तथा जिला पंचायत में मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) देखते हैं।

याद रहे कि मुख्यमंत्री जी ने किसानों की आय में बढ़ोत्तरी का संकल्प लिया है। मनरेगा की उपयोजना इसी दिशा में है। यहां ऐसी ही कुछ योजनाओं को लेकर चर्चा की जा रही है कि उनके चयन, मानकीकरण और कार्यान्वयन की प्रक्रिया, पद्धति और प्रणाली क्या है। उदाहरणार्थ, कपिलधारा योजना को लें, जिसका उद्देश्य छोटे किसानों को उन्हीं की भूमि पर जलाशय निर्माण करके सिंचाई सुविधा का विस्तार करना है। सर्वविदित है कि खेती के लिए सिंचाई का बुनियादी महत्व है। इस योजना में खेत-तालाब और कुएं शामिल हैं जो क्रमशः खेत के ऊपरी और निचले क्षेत्र में बनाए जाएंगे, ताकि तालाब भरने पर उसका पानी स्वयमेव कुएं में आ जाए। इसके लिए केवल वही किसान पात्र होगा, जिसके पास न्यूनतम एक एकड़ या अधिकतम ढाई एकड़ भूमि हो। विधवा या परित्यक्ता महिला और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को प्राथमिकता देंगे। खेत-तालाब की न्यूनतम जल संग्रहण क्षमता 400 घनमीटर होगी। एक मीटर पत्थर की पिचिंग करके इसका स्थायित्व सुनिश्चित करेंगे। इससे निकली मिट्टी की गुणवत्ता को ध्यान में रखकर इसे खेत के समतलीकरण या मेढ़ निर्माण के काम में लाएंगे। योजना का मूल उद्देश्य ग्रामीण समाज के आर्थिक रूप से सबसे कमजोर वर्ग को ऊपर उठाकर ग्रामोदय करना है। ऐसे निर्माण करना है जो टिकाऊ हों। कपिलधारा कूप (खेत-तालाब सहित) की लागत रुपये दो लाख बीस हजार निर्धारित की गयी है।

दूसरा उदाहरण क्रीड़ांगन यानी खेल के मैदान बनाने का है। स्कूल या पंचायत भवन से लगे प्रांगण खेल-मैदानों में उपयुक्त माने गए हैं। इनके लिए मोटे तौर पर दो मानक निर्धारित किये गए हैं - 100x100 मीटर तथा 80x60 मीटर किंतु इनका क्षेत्रफल चार हजार वर्गमीटर से कम नहीं होना चाहिए। ताकि बच्चे आराम से खेल सकें। इनमें बैठक व्यवस्था करने तथा पुरुष-महिला मूत्रालय पृथक-पृथक बनाने के निर्देश हैं। प्रति मीटर बत्तीस रुपये लागत निर्धारित की गई है। खेल के मैदानों का निर्माण 31 मई 2017 तक पूरा करने की समय-सीमा भी निर्देशित कर दी गई है।

> **ग्रामों में शवदाह (अन्त्येष्टि) की उचित व्यवस्था भी महात्मा गांधी नरेगा के तहत की जा रही है, अभी यह प्रथा सुनियोजित ढंग से नदी–नालों के किनारे या कहीं भी सुविधानुसार चालू है। इसके लिए एक मानक डिजाइन बना दी गई है। एक शवदाह वाले शांतिधाम के लिए रुपये एक लाख अस्सी हजार तथा दो शवदाह के लिए रुपये दो लाख पैंतालिस हजार की मानक लागत निर्धारित कर दी गई है। यथासंभव पानी की व्यवस्था करने के लिए हैण्डपम्प एवं सतही टंकी बना सकते हैं। मानक-लागत रुपये एक लाख निर्धारित की गई है। इनके निर्माण**

ग्रामों की बस्तियों में सी.सी. सड़कों के आंतरिक मार्ग और जल-मल निकासी के लिए पक्की नालियां भी मनरेगा के तहत बनाते हैं। सी.सी. सड़क की मानक लागत 800 रुपये प्रति वर्गमीटर तथा पक्की नाली की 550 रुपये प्रति वर्गमीटर निर्धारित की गई है। निर्माण कार्य की लागत का 85 प्रतिशत सामग्री अंश और 15 प्रतिशत मजदूरी माना जाता है। पंच-परमेश्वर के तहत ग्राम पंचायतों द्वारा सी.सी. सड़कों एवं पक्की नालियों का उपरोक्त निर्माण आगामी दो से तीन वर्षों में पूरा किया जा सकता है। कल्पना करें कि वर्ष 2019 या 20 तक हमारे सभी गाँव सी.सी. सड़कों और पक्की नालियों की बदौलत कीचड़ कांचे के अस्वास्थ्यकर वातावरण से मुक्त होकर स्वस्थ पर्यावरण में सांस ले सकेंगे।

इसी प्रकार ग्रेवल सड़कों का निर्माण सुदूर ग्राम सम्पर्क व खेत-सड़क उपयोजना के तहत किया जाना है। ग्राम पंचायत के तहत सभी ग्रामों के मजरे-टोलों की बस्तियों को ग्रेवल-सड़कों से जोड़कर फिर उत्पादन केन्द्रों अर्थात खेतों को सम्पर्क मार्गों से जोड़ा जा रहा है।

ग्रामों में शवदाह (अन्त्येष्टि) की उचित व्यवस्था भी मनरेगा के तहत की जा रही है। अभी यह प्रथा सुनियोजित ढंग से नदी–नालों के किनारे या कहीं भी सुविधानुसार चालू है। इसके लिए एक मानक डिजाइन बना दी गई है। एक शवदाह वाले शांतिधाम के लिए रुपये एक लाख अस्सी हजार तथा दो शवदाह के लिए रुपये दो लाख पैंतालिस हजार की मानक-लागत निर्धारित कर दी गई है। यथासंभव पानी की व्यवस्था करने के लिए हैण्डपम्प एवं सतही टंकी बना सकते हैं। मानक लागत रुपये एक लाख निर्धारित की गई है। इनके निर्माण कार्य की समय-सीमा भी 31 मई 2017 है। ग्रामीण यांत्रिकी सेवा में प्रमुख अभियंता ने इसके लिए तकनीकी दिशा-निर्देश पहले ही जारी कर दिए हैं।

मनरेगा के तहत वस्तुतः ग्रामों के समग्र विकास के लिए बहुत से काम किए जा रहे हैं। ये अधिकांशतः श्रम-प्रधान होने के कारण रोजगार मूलक हैं। इसी के साथ-साथ यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि ये निर्माण टिकाऊ और सर्वोपयोगी हों।

● घनश्याम सक्सेना
(लेखक वरिष्ठ स्तंभकार हैं)

आम आदमी के सपनों को लगे पंख

मध्यप्रदेश ने मनरेगा योजना को उसके उद्देश्य तक ले जाकर अपने आप में मिसाल कायम की है। प्रदेश में मनरेगा के लिए बनाई गई उपयोजनाओं ने जहाँ ग्रामीणों को रोजगार दिया, वहीं आम आदमी के सपनों को पंख लगा दिये। पिछले दस वर्षों में मनरेगा उपयोजनाओं ने प्रदेश के गाँवों में विकास की दिशा को नये आयाम दिए हैं।

मनरेगा के तहत योजना का क्रियान्वयन और मॉनीटरिंग को लेकर विशेष प्रयास किए गए, कुछ नवाचार हुए जिन्हें भारत सरकार ने सराहा। यह सराहना योजनाओं का बेहतर उपयोग और सफल क्रियान्वयन का परिणाम है। प्रदेश में पहली बार मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में सौ दिन के रोजगार की सुनिश्चिता के साथ कई उपयोजनाएं बनीं।

मध्यप्रदेश में की गई इस पहल का अन्य राज्यों ने अनुसरण किया। प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम की पारदर्शी भुगतान प्रक्रिया से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है। सम्पूर्ण सुव्यवस्थित व्यवस्था और सुशासन के बढ़ते कदमों से मध्यप्रदेश में मनरेगा के तहत अब तक लगभग 200 करोड़ दिन का रोजगार ग्रामीण परिवारों को मिला और श्रमिकों को मजदूरी के रूप में लगभग 20 हजार करोड़ रुपये मिले हैं।

मध्यप्रदेश में मनरेगा के साथ योजनाओं का ऐसा ताना-बाना बुना गया कि इसके परिणामों से गाँव का किसान, युवा, हर वर्ग जुड़ा, खेती को लाभ का व्यवसाय बनाने की संभावनाएं बनीं, खेत-खलिहान समृद्ध हुए।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा चलाई जा रही मनरेगा योजना ने ग्रामीण अधोसंरचना और स्थाई परिसंपत्तियों का निर्माण किया और अंतिम व्यक्ति को स्थाई आजीविका प्रदान कर विकास के आयामों को विस्तार दिया गया।

प्रदेश में मनरेगा उपयोजनाओं के लिए सरकार की ओर से वर्ष 2006 में एक एक्ट बनाया गया, जिसके प्रावधान के अनुसार प्रदेश की भौगोलिक मानवीय जरूरतों के अनुसार उपयोजनाएं बनाई गईं जो प्रदेश के लिए उपयोगी व कारगर साबित हुईं। इससे ग्रामीणों का पलायन रुका और उन्हें विकास की मुख्य धारा में लाने का मार्ग प्रशस्त हुआ। मनरेगा उपयोजनाओं में समय-समय पर अनेक नवाचार हुए। इनमें खेतों में कूप निर्माण के लिए कपिलधारा उपयोजना, मनरेगा ग्रामीण क्रीड़ांगन उपयोजना, सुदूर ग्राम सम्पर्क और खेत सड़क उपयोजना, ग्रामीण खेतों में श्मशान भूमि विकसित करने के लिए शांतिधाम उपयोजना और पंच-परमेश्वर योजना के तहत सीमेंट-कांक्रीट सड़क और नाली निर्माण आदि के लिए परिवर्तन हुए और नवाचार शामिल किए गए हैं। पूर्व में इन योजनाओं के अभूतपूर्व परिणाम निकाल कर आए हैं।

कपिलधारा उपयोजना

कपिलधारा उपयोजना से होने वाले परिणामों को देखें तो अब तक 3 लाख 52 हजार से अधिक कपिलधारा कुओं का

निर्माण कराया जा चुका है। मध्यप्रदेश की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखकर बनाई इस योजना के परिणामों के एक आकलन के अनुसार प्रदेश में बनाए गए 3 लाख 52 हजार कुओं से लगभग 4 लाख 69 हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र बढ़ा है। इसमें जहाँ रबी की फसल में 35.175 लाख क्विंटल का उत्पादन हुआ वहीं सब्जी व फलोद्यान का क्षेत्र भी बढ़ा है।

अच्छे परिणामों से बढ़ती उम्मीदों को देखते हुए कपिलधारा कूप योजना के साथ खेत-तालाब को भी जोड़ दिया गया है, जिसमें जमीन के ऊपरी क्षेत्र में खेत-तालाब व निचले क्षेत्र में कूप का निर्माण करवाया जाएगा। ताकि ऊपर के शेष जल से कुएं रिचार्ज हो सकें।

इस योजना में क्रिटिकल और सेमी क्रिटिकल क्षेत्र में कूप के साथ तालाब की अनिवार्यता है। खेत-तालाब की न्यूनतम क्षमता 400 घनमीटर है। कूप सह खेत-तालाब निर्माण की लागत राशि रु. 2.30 लाख (सामग्री 1.15 लाख + मजूदरी 1.15 लाख) है जिससे 689 मानव दिवस निर्मित होंगे।

यदि केवल कूप निर्माण करना हो तो उसकी लागत राशि 2 लाख रुपये। इस योजना का लाभ लेने के लिए एक से ढाई एकड़ के भूमि धारक किसान पात्र हैं। निर्माण कार्य में मजदूरी और सामग्री का समान अनुपात 50:50 है प्रतिशत। इस योजना में भुगतान सीधे हितग्राही के खाते में होता है।

ग्रामीण क्रीड़ांगन उपयोजना

स्वस्थ शरीर और मानसिक स्फूर्ति के लिए जीवन में खेल आवश्यक है। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए और गांव की प्रतिभा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उभर कर आए इसलिए मनरेगा क्रीड़ांगन उपयोजना का निर्माण किया गया। जिसमें गांव में खेल मैदान की डिजाइन से लेकर निर्माण तक की विभाग द्वारा समूची व्यवस्था की गई है।

इसके तहत दो मानक निर्धारित किए गए हैं। पहले के तहत दस हजार वर्ग मीटर का मैदान जिसमें मैदान निर्माण राशि 3.20 लाख रुपये, मूत्रालय व बैठक निर्माण राशि

33 हजार रुपये तथा कुल राशि 3.53 लाख रुपये निर्धारित है। दूसरे मानक में 4,800 वर्गमीटर क्षेत्रफल के क्रीड़ांगन निर्माण में 1,53,600 रुपये मैदान निर्माण के लिए, 33 हजार रुपये मूत्रालय तथा बैठक निर्माण के लिए है, कुल राशि 1,86,600 रुपये निर्धारित है।

सुदूर ग्राम संपर्क व खेत सड़क उपयोजना

इस योजना में सुदूर ग्राम के मजरे-टोले से लेकर खेत तक को सड़क संपर्क से जोड़ा गया है, ताकि किसान को फसल उत्पादन से लेकर बिक्री करने तक आवागमन में कोई असुविधा न हो। इस उपयोजना में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा गया है। सड़क निर्माण की लागत और क्षेत्र भी निर्धारित किया गया है। साधारण मिट्टी में 11 लाख रुपये प्रति किलोमीटर, दो पुलिया सहित लागत राशि 13 लाख प्रति किलोमीटर निर्देशित है। काली मिट्टी में 12 लाख रुपये प्रति किलोमीटर, जिसमें दो पुलिया सहित लागत राशि 19 लाख रुपये प्रति किलोमीटर प्रावधानित है।

पंच-परमेश्वर योजना - सीमेंट-क्रांक्रीट सड़क एवं पक्की नाली निर्माण

पंच-परमेश्वर योजना के तहत आगामी दो वर्षों में प्रदेश के सभी ग्रामों में सड़क तथा पक्की नाली का निर्माण किया जाना है, जिसमें प्रावधानित निर्देश अनुसार सीमेंट-क्रांक्रीट सड़क की मानक लागत 800 रुपये प्रति वर्ग मीटर होगी। पक्की नाली की मानक लागत 550 रुपये प्रति वर्ग मीटर सुनिश्चित की गई है।

शांतिधाम उपयोजना

मध्यप्रदेश सरकार ने मनरेगा के तहत उपयोजना बनाकर जीवन के अंतिम पड़ाव के लिए सुव्यवस्थित शांति धाम निर्माण की व्यवस्था की है ताकि ग्रामीणों को असुविधा का सामना न करना पड़े।

इसमें 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के आधार पर शांतिधाम बनाने की योजना बनाई गई है। जिसमें 2000 से कम जनसंख्या वाले गांव में एक प्लेटफार्म वाला शांति धाम जिसकी लागत 1.80 लाख होगी तथा 2000 से अधिक जनसंख्या होने पर दो प्लेटफार्म वाला शांति धाम निर्माण का प्रावधान है। जिसकी लागत 2.45 लाख निर्धारित है। इसके अतिरिक्त पानी की उपलब्धता के लिए हैण्डपम्प सहित टंकी निर्माण के लिए लागत राशि एक लाख रुपये है।

इस तरह मध्यप्रदेश में मनरेगा उपयोजनाओं का निर्माण किया गया है। जिसके तहत सौ दिन की मजदूरी की सुनिश्चिता के साथ अधोसंरचना विकास, कृषि को लाभ का व्यवसाय बनाने के लिए नवाचारों का प्रयोग और जीवन की अंतिम यात्रा को सुनिश्चित किया गया है। पंचायिका के इस अंक में संबंधित उपयोजनाओं के दिशा-निर्देश पंचायत गजट में प्रकाशित किए गए हैं, ताकि अधिक से अधिक हितग्राही इससे लाभान्वित हो सकें।

● प्रस्तुति : रीमा राय

डिजिटल क्रांति की संवाहक ग्राम पंचायत कोदरिया

कैशलेस ट्रांजेक्शन की सुविधा देने वाली प्रदेश की अपने तरह की पहली पंचायत

डिजिटल क्रांति समय की सबसे बड़ी जरूरत है। इस क्रांति को सफल बनाने में हर कोई अपने-अपने स्तर से प्रयासरत है। यह क्रांति शहरों के साथ-साथ अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी फैलने लगी है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण देखने को मिल रहा है इंदौर जिले की ग्राम पंचायत कोदरिया में। यह पंचायत कैशलेस ट्रांजेक्शन की सुविधा प्रदान करने वाली प्रदेश की अपनी तरह की पहली और अनूठी पंचायत बन गई है। इस पंचायत का अधिकांश कामकाज कम्प्यूटरों के माध्यम से ऑनलाइन किया जा रहा है। इस पंचायत को विभिन्न सुविधाओं और मानक सेवाओं के लिये आईएसओ भी मिल चुका है। स्वच्छता के क्षेत्र में भी इस पंचायत में उल्लेखनीय कार्य किये जा रहे हैं। यह पंचायत पूरी तरह शासकीय कार्यालयों की तरह कार्य करने वाली अनूठी पंचायत भी है। यह पंचायत आर्थिक रूप से सशक्त बन रही है। पंचायत की सरपंच को करारोपण तथा कर वसूली के लिये प्रदेश के साथ ही देश के विभिन्न स्थानों पर आयोजित होने वाले जनप्रतिनिधियों के सम्मेलन में विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता है।

इंदौर शहर से करीब 30 किलोमीटर दूर महू विकासखण्ड में यह पंचायत स्थित है। इस पंचायत को प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत होने का दर्जा भी प्राप्त है। ग्राम पंचायत की सरपंच श्रीमती अनुराधा जोशी ने बताया कि पंचायत के विकास को समय की धारा के अनुरूप किया जा रहा है। वर्तमान समय में जो आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये विशेष प्रयास किये जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि ग्राम की साक्षरता 80 प्रतिशत से ऊपर है। ग्राम पंचायत में अधिकांश लोगों के खाते खुले हुए हैं, इसे देखते हुए हमने ग्राम पंचायत में कैशलेस भुगतान प्राप्त करने की व्यवस्था कर दी है। इस व्यवस्था के प्रति ग्रामीणों में जागृति धीरे-धीरे बढ़ रही है। ग्रामीणजन श्री बसंत गेहलोत तथा श्री रामकिशन बा का कहना है कि "यह एक अच्छी शुरुआत है। यह व्यवस्था पंचायत ने दी है तो हम इसका लाभ अवश्य उठायेंगे। इससे समय की बचत होगी और राशि की हेराफेरी की संभावनायें भी कम होगी तथा पंचायत के खाते में सीधे राशि जमा होगी।"

सरपंच श्रीमती अनुराधा जोशी ने बताया कि पंचायत में अभी तक लगभग 10 हजार रुपये का भुगतान कैशलेस प्राप्त हुआ है। राशि छोटी जरूरी है, लेकिन एक महत्वपूर्ण शुरुआत है। मैं कैशलेस ट्रांजेक्शन के प्रति जागरूकता लाने के लिये विशेष रूप से प्रयासरत हूं। घर-घर जाकर लोगों को समझाइश देती हूँ कि वे अपना अधिकांश लेनदेन डिजिटल पद्धति से कैशलेस ही करें। गांवों में जागृति आ रही है। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत में जन्म-मृत्यु प्रमाण-पत्र बनाने, पेंशन के आवेदन लेने, विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत हितग्राहियों के आवेदन लेने, उन्हें स्वीकृत करने आदि कार्य कम्प्यूटर के माध्यम से ऑनलाइन किये जा रहे हैं। इसका लेखा-जोखा भी कम्प्यूटर में व्यवस्थित रूप से रखा जा रहा है।

शासकीय कार्यालय की तरह कार्य कर रही है पंचायत

यह पंचायत एक सम्पूर्ण शासकीय कार्यालय की तरह ही कार्य कर रही है। पंचायत कार्यालय सुबह साढ़े 10 बजे से शाम साढ़े 5 बजे तक प्रतिदिन खुलता है। इस

पंचायत कार्यालय में कुल 26 कर्मचारियों का स्टाफ है। इनमें लेखापाल, लिपिक, कम्प्यूटर ऑपरेटर, चौकीदार, सफाईकर्मी आदि शामिल हैं। सरपंच द्वारा ग्रामीणों की समस्याओं को जानने और उनके निराकरण के लिये सालभर में एक बार 'आपकी पंचायत आपके द्वार' कार्यक्रम आयोजित किया जाता है।

स्वच्छता में भी अव्वल पंचायत

इस पंचायत में स्वच्छता के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय काम किये हैं। पंचायत द्वारा अपने खर्च पर 7 सफाईकर्मी रखे हैं। यह सफाईकर्मी प्रतिदिन गांव के गली-मोहल्लों की सफाई करते हैं। घर-घर से कचरा एकत्रित करने के लिये वाहन की व्यवस्था भी पंचायत द्वारा की गयी है। इस वाहन द्वारा प्रतिदिन घर-घर जाकर कचरा एकत्रित किया जा रहा है। गांव के सभी तीन हजार 300 परिवारों को दो-दो डस्टबीन देने की भी योजना बनाई गयी है। इस गांव को स्वच्छता अभियान के प्रथम चरण में ही 2015 में पूर्ण स्वच्छ घोषित किया जा चुका है।

तमिलनाडु में भी जगाई स्वच्छता की मशाल

ग्राम पंचायत कोदरिया की सरपंच श्रीमती अनुराधा जोशी का चयन तमिलनाडु राज्य भ्रमण के लिये भी किया गया। उन्होंने तमिलनाडु में आयोजित एक सम्मेलन में ठोस एवं तरल अपशिष्ट कचरा प्रबंधन के बारे में अपनी पंचायत में किये जा रहे कार्यों की जानकारी वहां के पंचायतराज प्रतिनिधियों को दी।

उल्लेखनीय है कि कोदरिया पंचायत की कचरा प्रबंधन की डेवलपमेंट प्रोजेक्ट रिपोर्ट मध्यप्रदेश शासन ने स्वीकृत की है। कोदरिया पंचायत द्वारा बनायी गयी इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार कोदरिया के प्रत्येक घर में दो-दो डस्टबिन दी जायेंगी।

इसमें से एक डस्टबिन सूखे कचरे और दूसरी डस्टबिन गीले कचरे के लिये रहेगी। इन डस्टबिनों से ग्रामीण अपने घर का कचरे एकत्रित करने के लिये पंचायत द्वारा चलाये जा रहे वाहन में डालेंगे।

आर्थिक रूप से स्वावलंबी पंचायत

इस पंचायत को आर्थिक रूप से स्वावलंबी पंचायत होने का दर्जा भी प्राप्त है। सरपंच श्रीमती जोशी ने बताया कि करारोपण तथा कर वसूली में यह पंचायत प्रदेश की दूसरी बड़ी पंचायत है। करारोपण तथा कर वसूली के संबंध में प्रशिक्षण के लिये इस पंचायत के सरपंच को प्रदेश तथा देश के विभिन्न स्थानों पर आयोजित होने वाले पंचायतराज पदाधिकारियों के सम्मेलन में भी आमंत्रित किया है। इसमें विशेष रूप से चित्रकूट तथा चेन्नई के सम्मेलन शामिल है।

इस पंचायत में जल कर, सम्पत्ति कर तथा अन्य करों से सालभर में 20-22 लाख रुपये से अधिक की आय हो जाती है। सरपंच ने बताया कि हमारा प्रयास है कि कर वसूली शत-प्रतिशत की जाये। वर्तमान में कुल मांग का 50 से 60 प्रतिशत वसूल हो जाता है।

• **महिपाल अजय**
जनसम्पर्क अधिकारी, इंदौर (म.प्र.)

डेयरी उद्योग

प्रतिदिन चालीस हजार लीटर दूध का उत्पादन कर रचा कीर्तिमान

ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों की अपनी सीमाएं देखते हुए कृषि के साथ जो व्यवसाय सर्वाधिक उपयुक्त हो सकता है वह है डेयरी फार्मिंग। मानव सभ्यता के प्राचीनतम व्यवसायों में से एक डेयरी फार्मिंग वर्तमान में लगभग सात करोड़ भारतीय परिवारों के लिए रोजगार के द्वितीयक स्त्रोत के रूप में कार्य कर रहा है। डेयरी से जुड़े किसानों के लिए इसे अत्यधिक उत्साहवर्धक स्थिति मानी जा सकती है कि उन्हें दूध की बाजार की कीमत का 80 से 85 प्रतिशत तक मूल्य मिल जाता है जबकि सब्जी एवं फल आदि से जुड़े उत्पादकों को उनके बाजार की कीमत का मात्र 30 से 40 प्रतिशत मूल्य ही मिल पाता है। सहयोग माइक्रो मैनेजमेंट संस्था गत तीन वर्षों से प्रदेश के पाँच जिलों (हरदा, होशंगाबाद, सीहोर, देवास व खण्डवा) में पशुपालकों को पशुपालन हेतु आधारभूत स्तम्भों-ब्रीडिंग, फीडिंग तथा मैनेजमेंट पर शिक्षित करने का प्रयास कर रही है। संस्था पशुपालन का प्रशिक्षण, पशुपालकों की समस्याओं का समाधान एवं मार्गदर्शन प्रदान कर रही है। वहीं पाँच जिलों में 55 हजार किसानों को स्वरोजगार स्थापित करवाया, तथा 40 हजार लीटर प्रतिदिन दूध का उत्पादन कर कीर्तिमान रचा है। इन्हीं सब पहलुओं के बारे में जानकारी लेने के संबंध में सहयोग माइक्रो मैनेजमेंट संस्था के निदेशक डॉ. गुरपाल सिंह जरयाल से बात की। डॉ. जरयाल गत 33 वर्षों से उद्यमिता कृषि एवं कृषि से संबंधित क्षेत्रों के संवर्धन हेतु कार्य कर रहे हैं। विशेष रूप से औषधीय एवं सुगंधित पौधों की खेती तथा इन पर आधारित उद्योगों की देश के विभिन्न भागों में स्थापना करवाने में डॉ. जरयाल का उल्लेखनीय योगदान रहा है। इन्होंने पिछले तीन दशकों में एक लाख से अधिक युवाओं को हर्बल, उद्यमिता, कृषि एवं पशुपालन के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान कर स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया है। प्रस्तुत हैं डॉ. जरयाल से म.प्र. पंचायिका के लिए नवीन शर्मा की हुई बातचीत के अंश।

- **आपको डेयरी के क्षेत्र में कार्य करने की प्रेरणा कैसे और कहां से मिली?**

❑❑ दरअसल मैं गाँव से ताल्लुक रखता हूँ और मेरे घर में खेती-किसानी, पशुपालन होता है। इससे पहले मैं जहां कार्यरत (नाबार्ड से) था। उसके चेयरमैन भी गाँव से जुड़े थे। उनका मानना था कि गाँवों में व्यवसाय के लिए सबसे सस्ता और सुलभ व्यवसाय डेयरी उद्योग ही हो सकता है। मेरे भी मन में आया कि कैसे किसानों का भला किया जा सकता है कैसे लघु उद्यम के लिये प्रेरित किया जा सकता है? इसी बीच सहयोग माइक्रो मैनेजमेंट, भोपाल के प्रबंध संचालक श्री आनंद पाटीदार के मार्गदर्शन में हमने यह कार्य प्रारंभ किया।

- **डेयरी उद्योग की शुरुआत कैसे और कहां से की?**

❑❑ सन् 2013 से हमने डेयरी उद्योग की शुरुआत हरदा जिले से की। सहयोग संस्था के ही माध्यम से हमने गाँव-गाँव में किसानों को जागरूक किया, पशुओं की नस्लों की देखभाल के विषय में बताया। डेयरी उद्योग की शुरुआत के लिए मार्गदर्शन दिया। लोगों ने भी हमारे सुझावों को आत्मसात किया।

- **वर्तमान में सहयोग संस्था के माध्यम से डेयरी उद्योग की क्या स्थिति है?**

❑❑ हम जो काम करते हैं उसे **'हरदा मॉडल'** के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में हम हरदा, देवास, होशंगाबाद, सीहोर और खण्डवा जिले के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं। लगभग 55 हजार लोगों से जुड़ चुके हैं और सफलतापूर्वक इनके यहाँ पशुपालन कर डेयरी उद्योग चलाया जा रहा है। इन गाँवों में पहले जहां प्रतिदिन 3800 लीटर दूध एकत्र होता था, आज वह 40 हजार लीटर प्रतिदिन हो रहा है। अकेले हरदा जिले में ही 25 हजार लोग डेयरी उद्योग का कार्य कर रहे हैं। यह हमारी संस्था के लिए बड़ी उपलब्धि है। इस डेयरी उद्योग में महिलाएं भी भागीदार हैं।

- **इस कार्य में आपकी क्या भूमिका होती है?**

❑❑ मेरा प्रमुख कार्य डेयरी उद्योग के लिए किसानों को प्रशिक्षण देना होता है। प्रशिक्षण द्वारा ही बताया जाता है कि किस तरह पशुपालन करना है, और कैसे इससे अधिक से अधिक लाभ अर्जित किया जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम यह ट्रेनिंग निःशुल्क देते हैं। यह ट्रेनिंग गाँव-गाँव जाकर देते हैं ताकि अधिक से अधिक लोग ट्रेनिंग ले सकें। इस प्रशिक्षण का किसानों को लाभ भी मिल रहा है। प्रशिक्षण के बाद किसानों को डेयरी उद्योग से संबंधित सभी जानकारी मिल जाती है।

- **सहयोग माइक्रो मैनेजमेंट संस्था का क्या कार्य है और संस्था यह कार्य कैसे करती है?**

❑❑ संस्था में लगभग 150 लोग कार्यरत

हैं। जिसमें 15-15 लोगों की टीमें बनाई गई हैं। एक टीम में, एक पशु चिकित्सक, एक सुपरवाईजर होता है। संस्था ने कुछ - कुछ दूरी पर दूध संग्रह करने के सेंटर खुलवाए हैं। इन सेंटरों में सुबह शाम, दो बार दूध एकत्र किया जाता है। यहां से दूध को भोपाल, इन्दौर जैसे बड़ों शहरों तक पहुँचाया जाता है। इन सेंटरों में 200 लीटर तक दूध संग्रह होता है। प्रत्येक दिन 55 हजार लीटर दूध एकत्र होता है। 15 दिनों में दूध विक्रेताओं का भुगतान किया जाता है।

- **संस्था के लक्ष्य क्या हैं ?**

❑❑ हमारी संस्था का लक्ष्य पैसा कमाना नहीं है, बल्कि किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वरोजगार स्थापित करवाना है। संस्था द्वारा कुल लाभ का 10 प्रतिशत ही रखा जाता हैं, ताकि संस्था का खर्च चल सके। इसके अलावा हम किसानों को उनके घरों व बाड़ों में खाली पड़ी जमीन पर चारा लगाने के लिये प्रेरित करते हैं। साथ ही लोगों को डेयरी उद्योग के लिए लोन दिलवाने में सहायता करते हैं।

- **भविष्य की क्या योजनाएं हैं ?**

❑❑ सहयोग माइक्रो मैनेजमेंट अभी मात्र पाँच जिलों में कार्य कर रही है, उसे प्रदेश के सभी 51 जिलों में विस्तारित करना है। अभी तीन जिलों में ही डेयरी स्थापित हैं, उनकी संख्या भी बढ़ानी है। इसे हर जिले में स्थापित करना है। हमें ग्रामीणों का सहयोग मिल रहा है। यदि ऐसे ही कार्य चलता रहा तो उम्मीद है संस्था जल्द ही पूरे प्रदेश में कार्य करेगी।

पशुपालकों के हित में सहयोग माइक्रो मैनेजमेंट की सेवाएं

- पशुपालन की उन्नत विधियों में पशुपालकों को उनके अपने ग्राम में नि:शुल्क प्रशिक्षण (एन.एस.डी.सी. के सहयोग से) देना।
- नस्ल सुधार हेतु प्रशिक्षित एवं अनुभवी पैरावेट के माध्यम से पशुपालकों के द्वार पर कृत्रिम गर्भाधान संबंधी सेवाएँ देना।
- खुला पशु बाड़ा बनाने के लिए पशुपालकों को नि:शुल्क मार्गदर्शन तथा सहयोग करना।
- उच्च प्रोटीन युक्त 'चारा फसलें' लगाने के लिए चारे के बीजों का प्रदाय तथा चारा फसलें उगाने के लिए मार्गदर्शन देना।
- पशु चारे की गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु भूसे का यूरिया ट्रीटमेंट तथा साइलेज बनाने हेतु पशुपालक के खेत तथा बाड़े में जाकर नि:शुल्क मार्गदर्शन देना।
- नए पशु खरीदने हेतु वित्तीय सहायता (सीधे सहयोग माइक्रो फाइनेन्स के माध्यम से तथा बैंकों के माध्यम से) प्रदान करना।
- पशुओं की चिकित्सा संबंधी सेवाएं (नाममात्र के शुल्क पर) प्रदान करना।
- बाजार दरों से काफी कम मूल्य पर पशुओं के पेट के कीड़े तथा गोचड़ी मारने (डीवार्मर) की दवा तथा मिनरल मिक्सचर को प्रदान करना।
- बाजार से सस्ती दरों पर उच्च प्रोटीन युक्त तथा पूर्णतया पचने योग्य पशु आहार, दाना, केंटल फीड प्रदान करना यह सहयोग डेयरी के समस्त दुग्ध खरीदी केन्द्रों पर उपलब्ध है।
- पशुपालकों की समस्याओं के निराकरण के लिए सुपरवाइजर्स तथा पैरावेट कार्यकर्ता द्वारा गांवों में नियमित भ्रमण करना।
- सहयोग से जुड़े पशुपालकों को सहयोग डेयरी द्वारा उत्पादित समस्त उत्पाद जैसे घी, पनीर, मावा आदि विशेष छूट पर उपलब्ध कराना।
- पशुपालकों द्वारा उत्पादित दूध के लिए ग्राम स्तर पर दुग्ध संग्रहण केन्द्रों की स्थापना करना।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं की राशि में वृद्धि

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में राज्य सरकार ने सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं की राशि में वृद्धि करते हुए एकरूपता स्थापित करने का निर्णय लिया है। निर्णय के अनुसार अब हितग्राही 150 के स्थान पर 300 रुपए मासिक राशि प्राप्त करेंगे। राज्य शासन द्वारा समस्त सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं से संबंधित लिए गए इस महत्वपूर्ण निर्णय के अनुसार अब 60 वर्ष से अधिक आयु के हितग्राही, 18 से 39 वर्ष आयु की विधवा महिलाएँ, 18 से 59 वर्ष की परित्यक्ता महिलाएँ (जो गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करते हों) की पेंशन राशि 150 के स्थान पर 300 रुपए प्रति माह की गयी है। इसी तरह 18 वर्ष से 59 वर्ष आयु के गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले नि:शक्तजन (जिनकी नि:शक्तता 40 प्रतिशत से अधिक है) को भी पेंशन राशि 150 के स्थान पर 300 रुपए प्रति माह की दर से मंजूर की गई।

इसके अलावा 6 से 18 वर्ष आयु के नि:शक्त बच्चे (जिनकी नि:शक्तता 40 प्रतिशत से अधिक है) उन्हें भी 150 के स्थान पर 300 रुपए प्रतिमाह की दर से दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन सहायता राशि के रूप में दिये जाने का निर्णय लिया गया। पेंशन तथा दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन सहायता राशि की पुनरीक्षित दर सितंबर 2016 से प्रभावशील है जिसका वास्तविक भुगतान अक्टूबर 2016 से हितग्राहियों को प्राप्त होगा। पेंशन/दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन सहायता राशि की वृद्धि से राज्य शासन पर अतिरिक्त 222.56 करोड़ का वित्तीय भार आएगा।

जिला और जनपद पंचायतों को मूलभूत अनुदान राशि का वितरण

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्रमांक : 335/475/2016/22/पं-1 **भोपाल, दिनांक 15.12.2016**

प्रति,

1. कलेक्टर (समस्त), मध्यप्रदेश
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, (समस्त) म.प्र.
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, (समस्त) म.प्र.

विषय :- जिला पंचायत एवं जनपद पंचायतों को प्रदाय की जाने वाली मूलभूत राशि के वितरण हेतु दिशा-निर्देश।
संदर्भ :- विभाग के पत्र क्रमांक एफ-2-2015/22/पं-1 दि. 09.08.2016 द्वारा जारी मार्गदर्शिका।

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा राज्य वित्त आयोग मद से जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत के निर्वाचित पदाधिकारियों के विकल्प पर उपलब्ध कराई जा रही मूलभूत अनुदान राशि के संबंध में मार्गदर्शिका जारी की गई है।

2. प्रदेश के सभी जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत की आबादी तथा क्षेत्र भिन्न-भिन्न हैं। कुछ जिलों में 2 या 3 विकासखण्ड ही हैं तो कुछ जिलों में 10 से अधिक विकासखण्ड हैं। जिला पंचायत के वार्ड तथा जनपद पंचायत के वार्ड उनके क्षेत्र का सामान्यतः समानुपातिक प्रतिनिधित्व करते हैं। अतः वर्ष 2016-17 एवं उसके बाद के वर्षों के लिए जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत के निर्वाचित पदाधिकारियों के विकल्प पर लिए जाने वाले अधोसंरचना कार्यों के लिए अनुदान धनराशि निम्नानुसार की जाती है:-

2.1 **जिला पंचायत के लिए राशि का विकल्प निम्नानुसार किया जावेगा :-**

अ. जिला पंचायत के अध्यक्ष के विकल्प पर राशि रु. 25.00 लाख
ब. जिला पंचायत के उपाध्यक्ष के विकल्प पर राशि रु. 15.00 लाख
स. जिला पंचायत के अन्य प्रत्येक सदस्य के विकल्प पर राशि रु. 10.00 लाख

2.2 **जनपद पंचायत के लिए राशि का वितरण निम्नानुसार किया जावेगा :-**

अ. जनपद पंचायत के अध्यक्ष के विकल्प पर राशि रु. 12.00 लाख
ब. जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष के विकल्प पर राशि रु. 08.00 लाख
स. जनपद पंचायत के अन्य प्रत्येक सदस्य के विकल्प पर राशि रु. 04.00 लाख

3. मूलभूत कार्यों के लिए अनुदान की राशि जारी करने के लिए पिछले वर्षों में दी गई राशि का निम्नानुसार उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित जिला पंचायत/जनपद पंचायत द्वारा प्रस्तुत करना आवश्यक होगा:-

अ. गत वर्ष दी गई राशि में से न्यूनतम 70 प्रतिशत का उपयोग; एवं
ब. गत वर्ष को छोड़कर पूर्ववर्ती वर्षों में दी गई राशि एवं उस पर प्राप्त ब्याज (हो तो) का शतप्रतिशत उपयोग।

4. राशि के उपयोग संबंधी समस्त कार्यवाही पंचायत दर्पण पोर्टल पर दर्ज की जावेगी तथा कार्य की प्रगति एवं राशि के उपयोग की गणना भी पंचायत दर्पण पोर्टल के माध्यम से की जावेगी।

5. उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) प्रक्रिया का भाग होगी।

6. कृपया जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत के निर्वाचित पदाधिकारियों को अवगत कराएं।

(राधेश्याम जुलानिया)
विकास आयुक्त
मध्यप्रदेश

ग्राम पंचायत सचिव-दायित्व और प्रावधान

प्रदेश की लगभग सत्तर प्रतिशत जनता गाँवों में निवास करती है। ग्रामवासियों के लिए मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा इनकी निरंतरता बनाए रखने की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की है। ग्राम पंचायत का दैनिक काम-काज करने के लिए शासन द्वारा 1995 में "पंचायत कर्मी योजना" लागू की गई थी। इस योजना के तहत ग्राम पंचायत के दसवीं उत्तीर्ण बेरोजगार व्यक्ति को ग्राम पंचायत द्वारा "पंचायत कर्मी" के पद पर अपनी बैठक में निर्णय एवं चयन करके नियुक्त किया जाता था। तत्पश्चात् नियुक्त पंचायत कर्मी को म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 69 के अधीन कलेक्टर द्वारा ग्राम पंचायत का सचिव अधिसूचित किया जाता था। पंचायत कर्मी को रुपये पाँच सौ मासिक मानदेय ग्राम पंचायत द्वारा भुगतान किया जाता था। लम्बे समय तक पंचायत कर्मियों द्वारा अपने स्थायित्व के लिए सदैव संघर्ष किया जाता रहा। परिणामस्वरूप राज्य शासन द्वारा **29 मार्च 2011** को ग्राम पंचायत कर्मी का पदनाम समाप्त करके "ग्राम पंचायत सचिव" पद नाम किया गया तथा ग्राम पंचायत सचिव का "जिला संवर्ग" बनाकर भर्ती नियमों का म.प्र. राजपत्र में प्रकाशन किया गया।

ग्राम पंचायत सचिव पद हेतु योग्यता व भर्ती प्रक्रिया

ग्राम पंचायत सचिव की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता हायर सेकेण्डरी (10+2) उत्तीर्ण तथा मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर का ज्ञान होना अनिवार्य किया गया। प्रतिवर्ष जनवरी माह में जिले में रिक्त पदों का विज्ञापन समाचार पत्र में जारी कर योग्य उम्मीदवारों के आवेदन आमंत्रित करने की जिम्मेदारी जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को सौंपी गई है। योग्य व्यक्ति का चयन एवं नियुक्ति की कार्यवाही जिला पंचायत स्तर पर किए जाने का प्रावधान भर्ती नियम 2011 में किया गया है।

ग्राम पंचायत सचिव का वेतनमान

ग्राम पंचायत सचिवों का दैनिक काम-काज का भार देखते हुए राज्य शासन द्वारा इनके लिए अगस्त 2013 से नियमित मासिक वेतनमान रुपये 3500-10000+1100 संवर्ग वेतन तथा रुपये 1300 विशेष मासिक भत्ता स्वीकृत किया गया है। इसी प्रकार राज्य शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत दर पर महंगाई भत्ता का भी भुगतान किया जा रहा है। इस प्रकार ग्राम पंचायत सचिवों को उनके सेवा के वर्षों के अनुसार लगभग पन्द्रह हजार रुपये मासिक वेतन प्राप्त हो रहा है। आज की तारीख में यदि कोई नया व्यक्ति ग्राम पंचायत सचिव के पद पर नियुक्त किया जाता है तो उन्हें निम्नानुसार मासिक वेतन प्राप्त होगा -

रुपये - 3500-10000+1100 संवर्ग वेतन = 4600+125% दर पर महंगाई भत्ता = 10350+1300 मासिक विशेष भत्ता कुल परिलब्धियां 11650/- प्राप्त होंगी।

राज्य शासन द्वारा ग्राम पंचायत सचिवों की सेवाकाल के दौरान मृत्यु होने पर पीड़ित परिवार को रुपये 1.50 लाख अनुग्रह राशि प्रदान की जाती है।

● एन.पी. पंथी

पंचायत सचिव के कार्य

- **पंचायत सचिव के प्रमुख कार्य प्रतिदिन ग्राम पंचायत के कार्यालय में उपस्थित रहना, ग्राम पंचायत तथा उसकी समितियों की प्रतिमाह बैठक बुलाना। ग्राम पंचायत में शामिल सभी गाँवों की हर तीन माह में ग्राम सभा की बैठक बुलाना। इन सभी बैठकों की बैठक व्यवस्था करना, बैठकों में विचार-विमर्श उपरांत लिए गए निर्णयों के कार्यवाही विवरण लिखना तथा निर्णयों का क्रियान्वयन करना।**
- **जिला/जनपद पंचायत द्वारा चाही गई सामयिक रिपोर्ट एवं अन्य जानकारी को उपलब्ध कराना।**
- **ग्राम पंचायत लेखा नियम के तहत 22 प्रकार के रजिस्टरों का संधारण करना तथा उन्हें समय-समय पर अपडेट करना। ग्राम पंचायत की आय-व्यय का लेखा-जोखा रखना तथा ता-तारीख कैशबुक लिखना।**
- **ग्राम पंचायत द्वारा अधिरोपित करों की वसूली करना, समय-समय पर बकायादारों को नोटिस जारी करना। ग्राम पंचायत के अन्य आय के स्त्रोतों की देख-भाल करना।**
- **ग्राम पंचायत क्षेत्र के वृद्ध, विधवा एवं नि:शक्तजनों को प्रतिमाह निराश्रित पेंशन का भुगतान करना।**
- **ग्राम पंचायत क्षेत्र में चल रहे विकास एवं निर्माण कार्यों का हिसाब रखना तथा समय पर मजदूरों को मजदूरी का भुगतान कराना।**
- **ग्राम पंचायत सचिव को पंजीयन विभाग द्वारा पदेन "सब रजिस्ट्रार" घोषित किया गया है। इसलिए ग्राम पंचायत क्षेत्र के जन्म एवं मृत्यु का रजिस्टर संधारित करना तथा प्रमाण-पत्र जारी करना।**
- **गाँव के मार्गों एवं नालियों की नियमित साफ-सफाई तथा प्रकाश व्यवस्था करना।**

ग्राम पंचायत सचिव पद की अर्हता और वेतनमान

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, भोपाल
आदेश

भोपाल, दिनांक 24.07.2013

क्रमांक : एफ-2/9/2013/22/P-1/ राज्य शासन द्वारा ग्राम पंचायत सचिवों को समय-समय पर स्वीकृत वेतनमान के संबंध में जारी आदेशों को अधिक्रमित करते हुए नवीन संशोधित वेतन बैंड एवं ग्रेड पे निम्न शर्तों के अधीन स्वीकृत किया जाता है :-

1. 10 वर्ष तक की सेवा पूर्ण करने वाले सचिवों को निम्नानुसार पे बैंड एवं ग्रेड पे देय होगी:-
   वेतन बैंड रुपये 3500-10,000 + ग्रेड पे 1100
2. 10 वर्ष एवं 10 वर्ष से अधिक की सेवा पूर्ण कर चुके पंचायत सचिवों को निम्नानुसार वरिष्ठ ग्रेड पे देय होगा:-
   वेतन बैंड रुपये 3500-10,000 + ग्रेड पे 1200

शर्तें:-

(i) उक्त वेतन बैंड में वेतन निर्धारण वर्तमान वेतनमान में प्राप्त हो रहे वेतन का 1.62 गुणा किया जाकर 10 से कम गुणक को अगले 10 के गुणक में परिवर्तित करते हुए किया जाएगा।

(ii) वेतन निर्धारण होने के पश्चात राज्य शासन के शासकीय सेवकों को महंगाई भत्ता देय होगा।

(iii) वेतन निर्धारण उपरांत राज्य शासन के शासकीय सेवकों की तरह प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को 3 प्रतिशत की दर से वार्षिक वेतनवृद्धि देय होगी।

क- वेतन बैंड रुपये 3500-10,000 + ग्रेड पे 1100

मूल वेतन	महंगाई भत्ता 188	सकल वेतन	प्रस्तावित वेतन (मूल वेतन का 1.62 गुणा कर)	ग्रेड पे	सकल वेतन (वेतन बैंड + ग्रेड पे) (4+5)	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7
2200	4136	6336	3570	1100	4670	सकल वेतन पर प्रचलित दर पर महंगाई भत्ता देय होगा।
2250	4230	6480	3650	1100	4750	
2300	4324	6624	3730	1100	4830	
2350	4418	6768	3810	1100	4910	
2400	4512	6912	3890	1100	4990	
2450	4606	7056	3970	1100	5070	
2500	4700	7200	4050	1100	5150	
2550	4794	7344	4140	1100	5240	
2600	4888	7488	4220	1100	5320	
2650	4982	7632	4300	1100	5400	
2650	4982	7632	4300	1100	5400	

ख- वेतन बैंड (10 वर्ष की सेवा उपरांत) 3500-10,000 + ग्रेड पे रुपये 1200

मूल वेतन	महंगाई भत्ता 188	सकल वेतन	प्रस्तावित वेतन (मूल वेतन का 1.62 गुणा कर)	ग्रेड पे	सकल वेतन (वेतन बैंड + ग्रेड पे) (4+5)	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7
2700	5076	7776	4380	1200	5580	सकल वेतन पर प्रचलित दर पर महंगाई भत्ता देय होगा।
2750	5170	7920	4460	1200	5660	
2800	5264	8064	4540	1200	5740	
2850	5358	8208	4620	1200	5820	
2900	5452	8352	4700	1200	5900	
2950	5546	8496	4780	1200	5980	
3000	5640	8640	4860	1200	6060	

3. यह आदेश वित्त विभाग की यू.ओ. क्रमांक 1272/1520/13/नियम-4 दिनांक 02.7.2013 तथा यू.ओ. क्रमांक 1412/1520/नियम-4 दिनांक 23.7.2013 के द्वारा दी गयी सहमति से जारी किया गया है।

(अरूणा शर्मा)
अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, भोपाल
आदेश

भोपाल, दिनांक 30.09.2013

क्रमांक : एफ-2-9/2013/22/पं.-1/ राज्य शासन एतद् द्वारा ग्राम पंचायत सचिवों को दिनांक 01 अगस्त, 2013 (भुगतान माह सितम्बर, 2013) से रुपये 1300/- प्रतिमाह विशेष भत्ता विभागीय ज्ञाप क्रमांक एफ 2-9/2013/22/पं.-1 दिनांक 24 जुलाई, 2013 एवं आदेश क्रमांक एफ 2-9/2013/22/पं.-1, दिनांक 27 अगस्त, 2013 के अनुक्रम में स्वीकृत करता है।

2. यह विशेष भत्ता अंशदायी पेंशन, महंगाई भत्ता, वार्षिक वेतन वृद्धि आदि की गणना के लिये वेतन का भाग नहीं माना जाएगा।

3. यह स्वीकृति वित्त विभाग के पृष्ठांकन क्रमांक 1860/2013/ नियम/चार दिनांक 30.9.2013 द्वारा महालेखाकार म.प्र. ग्वालियर को पृष्ठांकित की गई है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(ब्रजेश कुमार)
अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

ग्राम पंचायत सचिव पद का नवीन वेतनमान

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल
आदेश

भोपाल, दिनांक 27 अगस्त 2013

क्रमांक : एफ 02-09/2013/22/पं.-1/ राज्य शासन द्वारा जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 24.07.2013 के परिप्रेक्ष्य में नवीन वेतनमान दिए जाने के संदर्भ में निम्नानुसार प्रक्रिया निर्धारित की जाती है :-

(अ) नवीन स्वीकृत वेतनमान का लाभ अगस्त 2013 का वेतन जो माह सितम्बर 2013 में देय है, से लागू होगा।

(ब) नवीन संरचना में वेतन का निर्धारण, आदेश दिनांक 24.7.2013 की कंडिका क्रमांक 2 (iii) (क) एवं 2(iii) (ख) में प्रदर्शित तालिका अनुसार दिनांक 1.8.2013 को पंचायत सचिव द्वारा कालम क्रमांक 1 अनुसार प्राप्त वेतन के आधार पर कालम क्रमांक 6 अनुसार होगा।

(स) कालम 6 अनुसार निर्धारित वेतन (वेतन बेण्ड में वेतन + संवर्ग वेतन) पर वर्तमान में राज्य शासन के कर्मचारियों को दिए जा रहे महंगाई भत्ते की प्रभावी दर से अर्थात 80 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता देय होगा।

2. दिनांक 24.7.2013 को जारी आदेश की कंडिका 1 एवं 2 में ग्रेड पे के स्थान पर संवर्ग वेतन पढ़ा जाये।
3. दिनांक 24.7.2013 को जारी आदेश की कंडिका 2(iii)(क) एवं 2(iii)(ख) में प्रदर्शित तालिका के कालम क्रमांक 5 एवं कालम क्रमांक 6 में 'ग्रेड पे' के स्थान पर 'संवर्ग वेतन' पढ़ा जाये।
4. जनपद पंचायत द्वारा उनका वेतन का निर्धारण यथाशीघ्र किया जावेगा।
5. ग्राम पंचायत सचिव को देय नवीन वेतन बेण्ड + संवर्ग वेतन की गणना विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 24.7.2013 में दर्शाये अनुसार की जावेगी।
6. ग्राम पंचायत सचिव की नियुक्ति होने पर उन्हें वेतन बैण्ड 3500-10,000+ संवर्ग वेतन रुपये 1100 अनुसार प्रथम वर्ष में कुल परिलब्धियों के रूप में राशि रुपये 4670/- एवं वर्तमान में राज्य शासन के कर्मचारियों को दिये जा रहे महंगाई भत्ते की प्रभावी दर से अर्थात 80 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता देय होगा।
7. ग्राम पंचायत सचिव को उनकी सेवा काल के द्वितीय वर्ष प्रारंभ होने पर जिनका वेतन 2250+ महंगाई भत्ता रु. 4230 है एवं सकल वेतन रु. 6480 है उन्हें वेतन बैण्ड 3500-10,000+ संवर्ग भत्ता रु. 1100 रु. में वेतन निर्धारण करते समय उनके वेतन में 1.62 गुणा किया जाकर उनका प्रस्तावित वेतन रु. 3650 होगा एवं वर्ष में कुल परिलब्धियों के रूप में राशि रुपये 4750/- एवं वर्तमान में राज्य शासन के कर्मचारियों को दिये जा रहे महंगाई भत्ते की प्रभावी दर से अर्थात 80 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता देय होगा।
8. ग्राम पंचायत सचिव जिनकी सेवा काल के पाँच वर्ष होने पर जिनका वेतन रु. 2400+ महंगाई भत्ता रु. 4512 है एवं सकल वेतन रु. 6912 है उन्हें वेतन बैण्ड 3500-10,000+ संवर्ग वेतन रु. 1100 में वेतन निर्धारण करते समय उनके वेतन में 1.62 गुणा किया जाकर उनका प्रस्तावित वेतन रु. 3890 होगा एवं वर्ष में कुल परिलब्धियों के रूप में राशि रुपये 4990/- एवं वर्तमान में राज्य शासन के कर्मचारियों को दिये जा रहे महंगाई भत्ते की प्रभावी दर से अर्थात 80 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता देय होगा।
9. ग्राम पंचायत सचिव को वेतन निर्धारण उपरांत शासकीय सेवकों की भांति प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को 3 प्रतिशत की दर से वार्षिक वेतनवृद्धि देय होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(ब्रजेश कुमार)
अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

मनरेगा अंतर्गत 'शांतिधाम' उपयोजना मानक डिजाइन एवं प्राक्कलन

विकास आयुक्त कार्यालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक 12445/एनआरईजीएस-एमपी/एनआर-3/16 **भोपाल, दिनांक 09.12.2016**

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर (मध्यप्रदेश)
2. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत (मध्यप्रदेश)
3. कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा (समस्त)।

विषय :- महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत "शांतिधाम" उपयोजना-मानक डिजाइन एवं प्राक्कलन।
सन्दर्भ :- शासन का पत्र क्रमांक 7315/एनआरईजीएस-एमपी/एनआर-3/17/10, दिनांक 15.07.2010।

उपरोक्त विषयांकित संदर्भित पत्र द्वारा "शांतिधाम" उपयोजना के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

2. शांतिधाम के लिए प्रमुख अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएं ने दो मानक डिजाइन एवं मानक प्रक्कलन बनाकर तकनीकी स्वीकृति जारी की है। मानक डिजाइन का शांतिधाम बनाये जाने की दशा में पृथक से तकनीकी प्राक्कलन बनाने, तकनीकी स्वीकृति लेने अथवा लागत का प्राक्कलन बनाने की आवश्यकता नहीं है।
3. जिन ग्रामों की आबादी जनगणना-2011 के अनुसार 2000 अथवा उससे कम है उनमें शवदाह के लिए एक प्लेटफार्म तथा जिन ग्रामों की आबादी जनगणना-2011 में 2000 से अधिक है उनमें दो प्लेटफार्म वाला शांतिधाम बनाया जाए।
4. प्रमुख अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा अनुमोदित मानक डिजाइन के शांतिधाम की मानक लागत निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :-
   (अ) एक शवदाह वाले शांतिधाम के लिए रुपये 1,80,000/-
   (ब) दो शवदाह वाले शांतिधाम के लिए रुपये 2,45,000/-
5. संभव हो तो शांतिधाम में पानी की व्यवस्था की जाए। पानी की व्यवस्था हेतु हैण्डपंप एवं सतही टंकी बनाने की दशा में मानक लागत रुपये 1,00,000/- (एक लाख) नियत की जाती है। धनराशि की व्यवस्था सांसद निधि, विधायक निधि, जिला एवं जनपद पंचायतों को दिये जाने वाले मूलभूत अनुदान, पंचायत कर एवं शुल्क से आय तथा जन सहयोग आदि से की जा सकती है।
6. शांतिधाम बनाने के लिए तकनीकी सहायता हेतु अनुदेश विभागीय वेबसाइट prd.mp.gov.in पर दिए गए हैं। यह अपेक्षा की जाती है कि संबंधित ग्राम पंचायत इन निर्देशों की प्रति निकालकर उनका उपयोग करें।
7. प्रत्येक ग्राम में एक शांतिधाम विकसित करने के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु निम्नानुसार समयसीमा निर्धारित की जाती है :-
   (अ) जिन ग्रामों में शांतिधाम नहीं बनाए गए हैं उनमें स्थल चयन एवं तकनीकी/प्रशासकीय स्वीकृति जारी करने की समयसीमा- 31 दिसम्बर 2016।
   (ब) निर्माण कार्य प्रारंभ करने की समयसीमा- 26 जनवरी, 2017
   (स) निर्माण कार्य पूर्ण करने की समयसीमा- 31 मई, 2017
8. उपरोक्त समयसीमा के भीतर लक्ष्य की कार्रवाई की समीक्षा साप्ताहिक वीडियो कांफ्रेंस में की जाएगी।
9. पूर्व में निर्मित बिना शेड (छाया) के शांतिधाम के उन्नयन के संबंध में पृथक से निर्देश जारी किए जाएंगे।

(राधेश्याम जुलानिया)
विकास आयुक्त
मध्यप्रदेश

ग्रामीण क्षेत्रों में श्मशान भूमि विकसित करने के लिए शांतिधाम उपयोजना

मध्यप्रदेश के ग्रामीण अंचलों में श्मशान भूमि की सुविधाएँ उपलब्ध करवाने के लिए सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत शांतिधाम उपयोजना चलाई जा रही है। राज्य शासन द्वारा इस उपयोजना के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इस दिशा-निर्देशों को मध्यप्रदेश पंचायिका में यथावत प्रकाशित किया जा रहा है।

कार्यालय प्रमुख अभियंता
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, मध्यप्रदेश
"बी" विंग, द्वितीय तल, विंध्याचल भवन, भोपाल
eincres@mp.gov.in, Phone : 0755-2551398

क्रमांक 7258/22/वि.-10/2016 **भोपाल, दिनांक 9.12.2016**

प्रति,

1. कलेक्टर (समस्त), मध्यप्रदेश
2. मुख्य अभियंता (समस्त), ग्रामीण यांत्रिकी सेवा परिक्षेत्र, मध्यप्रदेश
3. अधीक्षण यंत्री (समस्त), ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, मध्यप्रदेश
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी (समस्त), जिला पंचायत, मध्यप्रदेश
5. कार्यपालन यंत्री (समस्त), ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, मध्यप्रदेश।

विषय :- महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत श्मशान भूमि विकसित किये जाने हेतु "शांतिधाम उपयोजना" विषयक तकनीकी दिशा-निर्देश।

सन्दर्भ :- विकास आयुक्त का पत्र क्रमांक 12445/एनआरईजीएस-एमपी/एनआर-3/16 भोपाल दिनांक 09.12.2016

महात्मा गांधी मनरेगा अंतर्गत शांतिधाम उपयोजना के संबंध में दिशा-निर्देश विकास आयुक्त द्वारा जारी किये गये हैं। शांतिधाम उपयोजना के संबंध में विस्तृत तकनीकी दिशा-निर्देश एवं माडल प्राक्कलन उपयोजना क्रियान्वयन के संबंध में निम्नानुसार जारी किये जाते हैं :-

1. स्थल का सीमांकन :

स्थल के सीमांकन पश्चात अतिक्रमण एवं पशुओं के आवागमन के अवरोध हेतु सीपीट का निर्माण किया जावेगा। सीपीटी की खुदाई सीमा लाइन से ऊपरी चौड़ाई 2.25 मीटर, गहराई 0.75 मीटर रखते हुये नीचे की चौड़ाई 0.75 मीटर में की जाये। खुदाई पश्चात् उपयोगी मिट्टी को क्षेत्र के समतलीकरण हेतु उपयोग में किया जा सकेगा। अन्य अनुपयोगी मिट्टी, पत्थर आदि को खाई के किनारे पर अंदर की ओर एकत्रित किया जाये।

2. कार्य का लेआउट :

2.1. जहां पर भवन का निर्माण करना है वहाँ निर्माण स्थल की सफाई करते हुए यथा संभव भूमि को समतल किया जावे।

2.2. सभी कोनों पर रिफरेंस पिलर लगायें। ये प्लेटफार्म से लगभग 1.5 मीटर दूरी पर दूरी पर होने चाहिए।

3. नींव की खुदाई एवं उसकी भराई का कार्य :

3.1. नींव की खुदाई 1 मीटर x 1 मीटर आकार में कड़ी सतह तक हो जाने के बाद सीमेंट कांक्रीट 1:3:6 मसाले से 10 से.मी. मोटाई में डालकर काम्पेक्शन किया जाये। इस कांक्रीट बेस पर कम से कम तीन दिन पानी की तराई किये जाने के बाद आरसीसी फुटिंग का कार्य प्रारंभ किया जावेगा।

3.2. कांक्रीट बेस पर 12 मिमी व्यास के सरिये 15 सेमी की दूरी पर दोनों दिशाओं में बांधे जायेंगे। इसी प्रकार आरसीसी कॉलम 20 सेमी x 20 सेमी के आकार का होगा एवं इसमें चार सरिये 12 मिमी व्यास के ऊंचाई की दिशा में बांधे जायेंगे। इन सरियों को 6 मिमी व्यास की रिंग से 20 से 25 सेमी की दूरी पर बांधा जायेगा।

3.3. इसके ऊपर सीमेंट कांक्रीट 1:2:4 (M-20) से जाल के ऊपर किनारे में 15 सेमी मोटी एवं कॉलम के पास 20 से 30 सेमी मोटाई में कार्य किया जायेगा। सीमेंट कांक्रीट 1:2:4 को वायब्रेटर से काम्पेक्ट करना अनिवार्य है। इसकी 14 दिन तक सतत् पानी से तराई की जायेगी।

3.4. प्लिंथ स्तर के ऊपर फिर से कॉलम के सेंटर टू सेंटर को नापा जायेगा एवं यह सुनिश्चित किया जाये कि ड्राइंग के अनुसार कॉलम सही स्थान पर हैं। अंतर होने पर कॉलम को तोड़कर फिर से बनायें। इसके ऊपर प्लिंथ बीम साइज 20 सेमी चौड़ी एवं 30 से.मी. ऊंची रखी जाये। इसमें सामान्यतः 3 सरिये 10 मिमी के निचले तल में एवं 2 सरिये 10 मिमी के ऊपरी तल पर डाले जाते हैं। इन सरियों को आपस में बांधने के लिये 6 से 8 मिमी रिंग 20 से 30 सेमी की दूरी पर बांधी जाती है।

3.5. प्लिंथ बीम को 20 सेमी की ब्रिक वॉल के ऊपर रखा जावे। ब्रिक वॉल ग्राउण्ड लेवल से 10 सेमी नीचे से बनाई जाती है एवं इसे 10 सेमी की 1:4:8 सीमेंट कांक्रीट पर रखा जाता है। इस दीवाल के ऊपर बीम को रखा जावे। बीम के लिये सीमेंट-कांक्रीट 1:2:4 का उपयोग कर वायब्रेटर से इसे काम्पेक्शन करना अनिवार्य है। सीमेंट कांक्रीट में पानी की मात्रा प्रति सीमेंट बोरी 20 लीटर से अधिक न हो। कांक्रीट की तराई जूट के बारदानों को लपेटकर 14 दिन तक लगातार की जावेगी।

3.6. प्लिंथ का भराव मुरम से 15-15 सेमी की परत में बिछाकर प्रत्येक परत को दुरमुठ से लगभग 15 प्रतिशत पानी डालकर काम्पेक्ट की जाये।

4. कॉलम के ऊपर गर्डर फिक्स करना :

4.1. इस कार्य में लोहे के गर्डर के ऊपर लोहे के ट्रस लगाये जाकर कार्य कराया जायेगा। इस हेतु आवश्यक है कि गर्डर एवं ट्रस के बनाने का फेब्रीकेशन मार्केट से आवश्यक रूप से ड्राइंग अनुसार करा लिया जाये। इसे स्थल पर आने के पूर्व में फेब्रीकेशन स्थल पर बारीकी से उपयंत्री स्वयं चैक करेंगे एवं उसके माप दर्ज करेंगे।

4.2. आरसीसी कॉलम में 16 मिमी व्यास के 4 एंकर बोल्ट को कम से कम 30 सेमी कांक्रीट में दबाया जायेगा अर्थात यह बीम की पूरी मोटाई के नीचे तक रहेगा। गर्डर, उसकी गसेट प्लेट और प्लिंथ बीम को नक्शे में दर्शाये अनुसार सावधानी से बनाया जायेगा।

4.3. ट्रस (कैंची) फिक्स होने के बाद इसके ऊपर 0.80 मिमी मोटी लोहे की चद्दर से छत का कार्य किया जायेगा। इन चद्दरों को 'जे' हुक एवं लोहे की पट्टी से कसा जावेगा। चद्दरों में ओवरलेप कम से कम 1 नाली से अधिक हो और इस ओवरलेप 'जे' हुक इस प्रकार लगाया जाये कि वह 2 अथवा 4 चद्दरों को कस ले। जहां कहीं 4 चद्दरें आ रही हैं, वहां कटिंग की जाये। यह कार्य उपयंत्री के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पन्न हो।

5. फिनिशिंग :

प्लिंथ (कुर्सी) स्तर तक की बीम, दीवाल एवं कॉलम की 1:6 सीमेंट मसाले से प्लास्टर किया जायेगा एवं 7 दिन तक तराई की जायेगी। प्लास्टर सूखने के पश्चात् सफेद सीमेंट से इसकी पुताई की जावेगी।

6. लागत :

क्र.	विवरण	शेड का आकार	मानक लागत (रुपये लाख में)
1.	टाइप-1 शेड 6 x 6 मीटर	6 मीटर x 6 मीटर	1.80
2.	टाइप-2 शेड 6 x 9 मीटर	6 मीटर x 9 मीटर	2.45

7. तकनीकी मार्गदर्शन, पर्यवेक्षण एवं गुणवत्ता :

7.1. ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के अभियंता (कार्यपालन यंत्री, सहायक यंत्री, उपयंत्री) निर्माण के तकनीकी पहलुओं और गुणवत्ता पर सतत निगरानी रखेंगे।

7.2. निर्माण कार्य को पूर्ण करने की अवधि दो माह नियत की जाती है। यदि कार्य वर्षा ऋतु के ठीक पहले प्रारंभ किया जाता है तो उसका नियोजन इस प्रकार किया जाए कि वर्षा के कारण क्षति न हो।

7.3. सहायक यंत्री निर्माण कार्य का निरीक्षण करेगा और माह में एक बार माप व मूल्यांकन का सत्यापन करेगा।

7.4. उपयंत्री सतत तकनीकी मार्गदर्शन देगा। नियत साप्ताहिक मजदूरी दिवस के पूर्व के दिन माप लेकर माप पुस्तिका में दर्ज करेगा और मूल्यांकन करेगा।

संलग्न : परिशिष्ट-1

(प्रियदर्शी खैरा)
प्रमुख अभियंता,
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ. क्रमांक 7259/22/वि.-10/2016 **भोपाल, दिनांक 9.12.2016**

प्रतिलिपि :-

1. विकास आयुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।
3. संभागायुक्त समस्त, मध्यप्रदेश।
4. आयुक्त, पंचायत राज संचालनालय।
5. आयुक्त, म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद्।
6. ग्रामीण विकास विभाग की सभी शाखाएं।
7. गार्ड फाइल।

प्रमुख अभियंता,
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा
मध्यप्रदेश, भोपाल

परिशिष्ट-1

शांतिधाम 6 × 6 मीटर की अनुमानित लागत का विवरण

स.क्र.	विवरण	लागत (रु.)
1.	कुर्सी स्तर तक कार्य	34,678/-
2.	लोहे की कैंची, गर्डर, लोहे की चद्दर की लागत	1,30,726/-
3.	पुताई, पेन्ट कार्य की लागत	5,269/-
4.	शांतिधाम की सुरक्षा हेतु सीपीटी निर्माण की लागत	7,576/-
5.	सूचना बोर्ड एवं अन्य आवश्यक व्यय	1,751/-
	योग	**1,80,000/-**

शांतिधाम 6 × 9 मीटर की अनुमानित लागत का विवरण

स.क्र.	विवरण	लागत (रु.)
1.	कुर्सी स्तर तक कार्य	45,419/-
2.	लोहे की कैंची, गर्डर, लोहे की चद्दर की लागत	1,84,573/-
3.	पुताई, पेन्ट कार्य की लागत	5,336/-
4.	शांतिधाम की सुरक्षा हेतु सीपीटी निर्माण की लागत	7,576/-
5.	सूचना बोर्ड एवं अन्य आवश्यक व्यय	2,096/-
	योग	**2,45,000/-**

महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत सुदूर ग्राम सम्पर्क और खेत सड़क उपयोजना

ग्रामीण क्षेत्रों को विकास की मुख्यधारा में जोड़ने के लिए देश भर में संचालित महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश में दूर-दराज क्षेत्रों में स्थित छोटे-छोटे गाँवों को सड़कों से जोड़ने के लिए सुदूर ग्राम सम्पर्क एवं खेत सड़क उपयोजना प्रारंभ की गई है। इस उपयोजना के संबंध में राज्य शासन द्वारा दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, जिन्हें मध्यप्रदेश पंचायिका में यथावत प्रकाशित किया जा रहा है।

विकास आयुक्त कार्यालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक 12677/MGNRGS/2016 **भोपाल, दिनांक 18.10.2016**

प्रति,

1. कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
   महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम-म.प्र.
   जिला-समस्त
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक
   महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम-म.प्र.
3. कार्यपालन यंत्री,
   ग्रामीण यांत्रिकी सेवा (समस्त)।

विषय :- महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत ग्रेवल सड़कों के निर्माण "सुदूर ग्राम सम्पर्क व खेत सड़क" उपयोजना।

सन्दर्भ :- पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पत्र क्र. 9581/MGNRGS-MP/NR-3/SE-1/2013 दिनांक 17.12.2013

उपरोक्त विषयांकित संदर्भित पत्र द्वारा सुदूर ग्राम सम्पर्क व खेत सड़क उपयोजना के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इन निर्देशों में कार्य की स्वीकृति की प्रक्रिया, क्रियान्वयन, गुणवत्ता, पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण आदि संबंधी विस्तृत दिशा-निर्देश शामिल हैं।

2. 'सुदूर ग्राम संपर्क व खेत सड़क उपयोजना' के तहत स्वीकृति की प्रक्रिया में निम्न प्रावधान निहित हैं :-
   (i) उपयोजना का उद्देश्य निस्तार पत्रक/वाजिब-उल-अर्ज में अंकित मार्गों का ग्रेवल सड़क में उन्नयन किया जाना है।
   (ii) ग्राम पंचायत क्षेत्र के भीतर निस्तार पत्रक/वाजिब-उल-अर्ज में अंकित सभी मार्गों का वाक थ्रू कर मार्गों की सूची तैयार कर प्रत्येक मार्ग से लाभान्वित होने वाले ग्राम, मजरे-टोले और उनकी जनसंख्या, खेत से सड़क संपर्क जोड़े जाने की दशा में मिलने वाले लाभ का आकलन करना।
   (iii) मार्गों के उन्नयन से होने वाले लाभ को दृष्टिगत रखते हुए मार्गों को ग्रेवल सड़क में उन्नयन करने के लिए प्राथमिकता क्रम निर्धारित करना।
   (iv) महात्मा गांधी नरेगा तथा अन्य योजनाओं के तहत उपलब्ध वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए उपरोक्त प्राथमिकता क्रम से निस्तार पत्रक/वाजिब-उल-अर्ज में अंकित मार्गों का ग्रेवल सड़क में उन्नयन करना।
3. 'सुदूर ग्राम सम्पर्क व खेत सड़क उपयोजना' के उपरोक्त संदर्भित दिशा-निर्देशों के तहत सड़क निर्माण कार्यों के क्रियान्वयन, गुणवत्ता तथा पर्यवेक्षण के लिए निम्न प्रावधान हैं :-
   (i) निर्माण कार्य (मार्ग के ग्रेवल सड़क में उन्नयन कार्य) की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु परिवहन, पानी के छिड़काव एवं काम्पेक्शन करने के लिए ट्रक/ट्रेक्टर, टैंकर एवं रोड रोलर की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
   (ii) निर्माण कार्य संपादन में आवश्यक सामग्री एवं शिल्प कौशल के लिए प्रयोगशाला एवं फील्ड टेस्टिंग सुनिश्चित करना।
   (iii) मार्ग के चयन, सघन निगरानी, तकनीकी अवयव, गुणवत्ता के लिए संसाधनों की व्यवस्था सुनिश्चित करने, निर्माण के

दौरान तथा निर्माण के पश्चात कार्य की गुणवत्ता का निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण करने के लिए जिला कलेक्टर, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के संभागीय कार्यपालन यंत्री, सहायक यंत्री एवं उपयंत्री से अपेक्षित कर्तव्यों का विस्तृत विवरण उपरोक्त संबंधित पत्र में दिया गया है।

(iv) 'सुदूर ग्राम सम्पर्क व खेत सड़क उपयोजना' की गुणवत्ता के मापदण्ड इस प्रकार नियत किए गये हैं कि कालान्तर में उनको मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत पक्की सड़क में उन्नयन किया जा सके।

4. विगत दिनों निर्माणाधीन मार्गों का निरीक्षण विकास आयुक्त कार्यालय, भोपाल के अधिकारियों से कराने के साथ-साथ विषयान्तर्गत विस्तृत चर्चा संभागीय समीक्षा बैठकों में की गई है।

5. 'सुदूर ग्राम सम्पर्क व खेत सड़क उपयोजना' के तहत अपेक्षित गुणवत्ता के मार्गों का निर्माण सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से निम्नानुसार कार्यवाही की जाए :-

5.1 निर्माणाधीन कार्यों के संबंध में

जो मार्ग विस्तार पत्रक/वाजिब-उल-अर्ज में वर्ष 2013 के पूर्व से अंकित हैं उनसे मिलने वाले परस्पर लाभ का आकलन कर निम्नानुसार प्राथमिकता क्रम में मार्गों को सूचीबद्ध किया जाए :-

(i) ग्राम मजरे-टोले मार्ग को प्रथम क्रम में लिया जाए।

(ii) यदि किसी ग्राम पंचायत में एक से अधिक ग्राम के मजरे-टोले की सड़क निर्माणाधीन हो तो उनका परस्पर प्राथमिकता क्रम लाभान्वित होने वाली आबादी के घटते क्रम में रखा जाए।

(iii) ग्राम पंचायत के सभी ग्रामों के मजरे-टोले अर्थात आबादी क्षेत्र को जोड़ने वाले मार्गों के ग्रेवल सड़क में उन्नयन हो जाने के उपरान्त मार्ग के उत्पादक केन्द्रों अर्थात खेत से सड़क सम्पर्क जोड़ने वाले मार्गों को प्राथमिकता क्रम में रखा जाए।

(iv) खेत से संपर्क जोड़ने के लिए एक से अधिक निर्माणाधीन मार्ग होने की दशा में लाभान्वित होने वाले कृषक समूह तथा भूमि के क्षेत्रफल के आधार पर घटते क्रम में परस्पर वरीयताक्रम में निर्धारित किया जाए।

(v) निर्माण कार्य ग्रेवल सड़क हेतु निर्धारित मापदण्ड एवं गुणवत्ता के अनुसार कराया जाए। इस हेतु यथास्थिति निर्माण कार्य का आकलन कर तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति हेतु प्राक्कलन तैयार किया जाए। प्रत्येक प्राक्कलन का परीक्षण सहायक यंत्री द्वारा किया जाए।

(vi) निर्माण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उपयंत्री, सहायक यंत्री एवं कार्यपालन यंत्री का तकनीकी पर्यवेक्षण, निरीक्षण एवं सत्यापन विभागीय दिशा-निर्देश दिनांक 17.12.2013 में वर्णित प्रक्रिया अनुसार सुनिश्चित किया जाए।

(vii) उपरोक्त क्रम में चयनित मार्गों में से सर्वोच्च प्राथमिकता के मार्ग को यथासंभव इस वित्तीय वर्ष की शेष अवधि में पूर्ण किया जाए।

(viii) जब तक सर्वोच्च प्राथमिकता क्रम का मार्ग पूर्ण न हो तब तक ग्राम पंचायत के अधीन निर्माणाधीन अन्य मार्गों पर कोई धनराशि व्यय न की जाए।

5.2 नवीन कार्यों के संबंध में

(i) सुदूर ग्राम संपर्क व खेत सड़क उपयोजना के तहत नवीन मार्गों की स्वीकृति देने के पूर्व शासन दिशा-निर्देश दिनांक 17.12.2013 में वर्णित कार्य की स्वीकृति की प्रक्रिया का पालन करते हुए निस्तार पत्रक/वाजिब-उल-अर्ज में वर्ष 2013 के पूर्व से अंकित मार्गों का परस्पर वरीयताक्रम निर्धारित किया जाए।

(ii) यदि किसी ग्राम पंचायत में सुदूर ग्राम संपर्क व खेत सड़क उपयोजना के तहत कोई मार्ग निर्माणाधीन न हो तो निम्न प्राथमिकता क्रम में प्रथम प्राथमिकता के मार्ग का ग्रेवल मार्ग में उन्नयन करने के लिए स्वीकृति दी जाए :-

(अ) ग्राम मजरे-टोले मार्ग को प्रथम क्रम में लिया जाए।

(ब) यदि किसी ग्राम पंचायत में एक से अधिक ग्राम के मजरे-टोले की सड़क निर्माणाधीन हो तो उनका परस्पर प्राथमिकता क्रम लाभान्वित होने वाली आबादी के घटते क्रम में रखा जाए।

(राधेश्याम जुलानिया)
विकास आयुक्त
मध्यप्रदेश

खेतों में कूप निर्माण के लिए मनरेगा अन्तर्गत कपिलधारा उपयोजना

ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के तहत कपिलधारा उपयोजना चलाई जा रही है। इस उपयोजना के अंतर्गत खेतों में कूप (कुएं) का निर्माण कराया जाता है। राज्य शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा इस उपयोजना के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं जिन्हें मध्यप्रदेश पंचायिका में यथावत प्रकाशित किया जा रहा है।

विकास आयुक्त कार्यालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक : 11002/एनआर-3/तक./मनरेगा/2016 **भोपाल, दिनांक 01.11.2016**

प्रति,

1. कलेक्टर (समस्त), मध्यप्रदेश।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं जिला पंचायत, (समस्त) म.प्र.

विषय :- महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत कपिलधारा उपयोजना में कूप निर्माण।

सितंबर एवं अक्टूबर 2016 में मेरे द्वारा ली गई संभागीय समीक्षा बैठकों में संभागायुक्तों/कलेक्टरों/मुख्य कार्यपालन अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श के उपरांत कपिलधारा उपयोजना के क्रियान्वयन के लिए निम्नानुसार दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैंः-

(i) कपिलधारा कूप की स्वीकृति में भविष्य में खेत तालाब और कूप दोनों शामिल होंगे।

(ii) हितग्राही चयनः-

2.1 कपिलधारा उपयोजना के तहत ऐसे हितग्राहियों का चयन किया जाए जिनके पास न्यूनतम 1 एकड़ कृषि भूमि हो अधिकतम कृषि भूमि 2.5 एकड़ या कम हो।

2.2 हितग्राहियों के चयन का प्राथमिकता का क्रम निम्नानुसार होगाः-

2.2.1 प्रथम प्राथमिकता में ऐसी विधवा अथवा परित्यक्ता महिला जिस पर परिवार की आजीविका निर्भर हो।

2.2.2 द्वितीय प्राथमिकता में (i) अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति के परिवार; एवं (ii) अन्य क्षेत्रों में अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवार।

2.2.3 तृतीय एवं अग्रिम प्राथमिकता में अन्य परिवार।

2.3 जिन कृषकों के क्षेत्र में पूर्व में कुएं अथवा सिंचाई के साधन हों, वे अपात्र माने जाएं।

2.4 पंचायतीराज पदाधिकारियों/सेवकों/मानदेय पर कार्यरत व्यक्तियों तथा शासकीय सेवकों के परिवार के किसी सदस्य का चयन आवश्यक हो तो हितग्राही के लिए स्वीकृति जारी करने के पूर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत से लिखित अनुमति ली जाए।

2.5 हितग्राही का चयन करने के उपरांत चयनित हितग्राही के लिए कपिलधारा कूप ग्राम पंचायत का कार्य योजना में सेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट में शामिल किया जावे।

3. खेत तालाब :

3.1 खेत तालाब की न्यूनतम जल संग्रहण क्षमता 400 घनमीटर रखना होगी। इस उद्देश्य से खेत तालाब का उपयुक्त आकार तय करने की छूट हितग्राही को होगी। उपयुक्त आकार के लिए सुझावात्मक तालिका निम्नानुसार हैः-

ऊपरी सतह	तल सतह	गहराई (मीटर में)
15x15	9x9	3
10x25	4x19	3
12x18	6x12	3

3.2 खेत तालाब के बाहरी और अंदरूनी हिस्से में खेत तालाब की ऊपरी सतह से एक मीटर गहराई तक पत्थर की पिचिंग करना अनिवार्य होगा।

3.3 खेत तालाब तथा कुएं की खुदाई से निकलने वाली मिट्टी का उपयोग मिट्टी की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए खेत के समतलीकरण करने अथवा खेत की मेढ़ बनाने में किया जाए।

4. कूप निर्माण :

4.1 कूप का निर्माण गोलाकार में किया जाए। कूप का व्यास सामान्यतः 5 मीटर अर्थात कुएं के मध्य बिंदु से किनारे की दूरी निर्माण के उपरांत 2.5 मीटर रहना चाहिए।

4.2 कूप की गहराई न्यूनतम 12 मीटर होना चाहिए। ग्राम पंचायत/स्वसहायता समूह/हितग्राही कूप निर्माण की उपरोक्तानुसार लागत सीमा के भीतर अधिक गहराई का कुआं बनाने के लिए स्वतंत्र होगा।

4.3 कूप निर्माण के लिए हितग्राही मटेरियल कम्पोनेंट के तहत मशीन से बोरिंग करवा सकेगा।

4.4 कूप बंधान के लिए फाउण्डेशन हार्ड रॉक पर आरसीसी बीम डालकर बनाना होगा।

4.5 कूप बंधान सीमेंट क्रांक्रीट/ईंट/पत्थर/से गोलाकार में करना होगा। कूप के ऊपरी हिस्से (मुंडेर) की चौड़ाई 30 से 40 सेंटीमीटर होना चाहिए। मुंडेर (पेरापेट वॉल) 75 से.मी. ऊँचाई की बनाना होगी।

4.6 कुएं के बाहरी हिस्से में न्यूनतम एक मीटर की जगत बनाना होगी।

5. खेत तालाब एवं कूप निर्माण को जोड़ना :

5.1 खेत तालाब खेत के ऊपरी क्षेत्र में और कूप निचले क्षेत्र में बनाया जाना चाहिए।

5.2 खेत तालाब को कूप से जोड़ना अनिवार्य होगा ताकि तालाब का अतिशेष जल कुएं में प्रवाहित हो।

5.3 खेत तालाब को कूप से जोड़ने के लिए 4 से 6 इंच की भूमिगत पीवीसी पाइप लाइन बिछाई जा सकती है अथवा भूमि की सतह पर पक्की नाली का निर्माण किया जा सकता है।

5.4 कूप में खेत तालाब से जल आने के स्थान पर एक वर्गमीटर क्षेत्र में पत्थर तथा बजरी बिछाकर फिल्टर बनाया जाए ताकि कूप में खेत तालाब की मिट्टी बहकर न आए। इससे पानी छनकर कुएं में जाएगा।

6. स्थल चयन :

6.1 स्थल चयन हितग्राही की पसंद अनुसार किया जाए। स्थल चयन के लिए भूजलविद् की मदद ली जा सकती है। स्थल चयन हेतु भूजलविद् के निरीक्षण एवं सर्वेक्षण के लिए हितग्राही मटेरियल कम्पोनेंट के तहत भुगतान कर सकेगा।

6.2 खेत तालाब का स्थल चयन सामान्यतः खेत के ऊपरी क्षेत्र में किया जाना चाहिए ताकि तालाब में भरे पानी से भूमिगत नमी का लाभ उसी खेत में मिल सके और जल के भूमिगत रिचार्ज का लाभ कुए में संग्रहित जल से मिल सके।

6.3 भूमिगत जल की उपलब्धता के आकलन के लिए विशेषज्ञ की मदद से हितग्राही को कूप निर्माण का स्थल चयन करना चाहिए। सामान्यतः कूप निर्माण का स्थल चयन खेत के निचले हिस्से में किया जाना चाहिए।

7. लेआउट :

खेत तालाब एवं कूप निर्माण के लेआउट देने के लिए उपयंत्री अथवा किसी तकनीकी अधिकारी की सेवाओं की आवश्यकता नहीं होगी। लेआउट ग्राम का कोई भी मिस्त्री अथवा अनुभवी व्यक्ति हितग्राही के साथ मिलकर तय कर सकेगा।

8. निर्माण एजेन्सी :

8.1 यदि हितग्राही आजीविका मिशन के तहत स्वसहायता समूह का सदस्य हो तो सामान्यतः संबंधित स्वसहायता समूह निर्माण एजेन्सी होगा। अन्य परिस्थितियों में संबंधित ग्राम पंचायत निर्माण एजेन्सी होगी।

8.2 मजदूरी के लिए मस्टर रोल स्वसहायता समूह/ग्राम पंचायत को जारी किए जाएंगे।

8.3 कपिलधारा उपयोजना के तहत मेट का कार्य अनिवार्यतः हितग्राही द्वारा किया जाए। अन्य किसी व्यक्ति से मेट का कार्य नहीं कराया जाए। हितग्राही के परिवर के सदस्यों को एवं उसके सुझाए अनुसार मजदूरों को नियोजित करने में प्राथमिकता दी जावे।

8.4 सामग्री/मशीन का भुगतान हितग्राही को सीधे उसके बैंक खाते में एफटीओ से जारी किया जाएगा।

8.5 निर्माण कार्य हितग्राही स्वयं कराएगा। ग्राम पंचायत/स्वसहायता समूह आवश्यक सहयोग दे सकेगी।

9. लागत, मूल्यांकन एवं भुगतान :

9.1 कपिलधारा कूप (खेत तालाब सहित) की लागत रु. 2,30,000/- निर्धारित की जाती है।

9.2 निर्माण के लिए उपयंत्री/तकनीकी अधिकारी द्वारा मूल्यांकन कराया जाना आवश्यक नहीं होगा। मूल्यांकन निर्माण कार्य की प्रगति के विभिन्न चरणों के आधार पर होगा जैसा कि वर्तमान में आवास योजनाओं के लिए लागू है। मूल्यांकन के चरण निम्न तालिका अनुसार होंगे :-

चरण	निर्माण	मूल्यांकन	मजदूरी राशि	सामग्री/मशीन
प्रथम	खेत तालाब की पूरी खुदाई एवं कूप की खुदाई 6 मीटर तक	60,000	50,000	10,000
द्वितीय	कुआं खुदाई 12 मीटर तक	60,000	40,000	20,000
तृतीय	खेत तालाब की पिचिंग एवं कूप बंधाई खेत स्तर तक	60,000	15,000	45,000
चतुर्थ	मुंडेर (पेरापेट) एवं जगत पूर्ण करना एवं खेत तालाब से कूप जोड़ना	50,000	10,000	40,000
	योग	**2,30,000**	**1,15,000**	**1,15,000**

9.3 मजदूरी का भुगतान मस्टर रोल के अनुसार साप्ताहिक आधार पर किया जाए। प्रत्येक चरण के लिए मजदूरी अंश की उक्त तालिका में निर्धारित राशि उस चरण का कार्य पूरा होने तक के लिए उस चरण की सीमा होगी।

9.4 सामग्री अंश (मटेरियल कम्पोनेंट) के तहत हितग्राही को प्रत्येक चरण के लिए धनराशि अग्रिम दिया जाए। स्वीकृति देने पर प्रथम चरण के लिए रु. 10,000/- अग्रिम दिया जाए। प्रथम चरण का कार्य पूण होने पर द्वितीय चरण के लिए रु. 20,000/- का अग्रिम दिया जाए। द्वितीय चरण का कार्य पूर्ण होने पर तृतीय चरण के लिए रु. 45,000/- अग्रिम दिया जाए। तृतीय चरण का कार्य पूर्ण होने पर चतुर्थ चरण के लिए रु. 40,000/- अग्रिम दिया जाए।

9.5 सामग्री अंश के लिए हितग्राही को वेन्डर माना जाए।

10. रोजगार सहायक की यह जिम्मेदारी होगी कि वह निर्माण के विभिन्न चरणों का निरीक्षण कर उनके जियोटेग फोटो लेकर हितग्राही को एफटीओ कराने के लिए मांगपत्र मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत को प्रस्तुत करे।

11. कपिलधारा उपयोजना के तहत निर्माण के लिए सुझावात्मक रूपांकन उपलब्ध है।

12. प्रभावशीलता :

12.1 यह दिशा-निर्देश दि. 1 नवंबर, 2016 से स्वीकृत कूप के लिए लागू होंगे।

12.2 पूर्व में स्वीकृत कूप में यदि निर्माण कार्य प्रारंभ न हुआ हो तो यह दिशा-निर्देश लागू होंगे।

12.3 निर्माण कार्य प्रारंभिक चरण में हो तो संबंधित हितग्राही की चाहने पर पर भी ये दिशा-निर्देश लागू हो सकेंगे।

(राधेश्याम जुलानिया)
विकास आयुक्त
मध्यप्रदेश

ग्रामीण क्रीड़ांगन उपयोजना-मानक डिजाइन एवं प्राक्कलन

मध्यप्रदेश के ग्रामीण अंचलों में बच्चों को खेलने के लिए उपयुक्त मैदान मिल सके, इसके लिए राज्य शासन द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत ग्रीमाण क्रीड़ांगन उपयोजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत ग्राम पंचायतें अपने क्षेत्र में सर्वसुविधा युक्त खेल मैदान बनायेंगी। इन खेल मैदानों के मानक डिजाइन और प्राक्कलन के लिए राज्य शासन द्वारा दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, जिसे मध्यप्रदेश पंचायिका में यथावत प्रकाशित किया जा रहा है।

विकास आयुक्त कार्यालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक : 12443/एनआरईजीएस-एमपी/एनआर-3/16 **भोपाल, दिनांक 9.12.2016**

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर (मध्यप्रदेश)
2. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत (मध्यप्रदेश)
3. कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा (समस्त)

विषय :- महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत ग्रामीण क्रीड़ांगन उपयोजना-मानक डिजाइन एवं प्राक्कलन।

संदर्भ :- शासन का पत्र क्रमांक 9543/एनआरईजीएस-एमपी/एनआर-3/13 दिनांक 12.12.2013

राज्य शासन द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत में खेल मैदान विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए निम्नानुसार दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैं :-

I खेल का मैदान ग्राम में ऐसे स्थान पर विकसित किया जाए जिसका सहजता से उपयोग किया जा सके। स्कूल एवं पंचायत भवन से लगे प्रांगण खेल का मैदान विकसित करने के लिए उपयुक्त होते हैं और उनका उपयोग भी सहज होता है।

II प्रमुख अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा ने खेल मैदान के स्थल चयन तथा विकास के लिए तकनीकी दिशा-निर्देश जारी किए हैं जो विभागीय वेबसाइट prd.mp.gov.in पर उपलब्ध हैं।

II प्रमुख अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा ने खेल मैदान की मानक डिजाइन, प्राक्कलन तथा लागत अनुमोदित की है। मानक आकार के खेल मैदान बनाए जाने की दशा में पृथक से तकनीकी स्वीकृति एवं प्राक्कलन बनाया जाना आवश्यक नहीं होगा। प्रमुख अभियंता द्वारा जारी मानक प्राक्कलन एवं लागत को ही प्रशासकीय स्वीकृति के लिए मान्य किया जा सकेगा।

IV प्रमुख अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा दो मानक डिजाइन बनाई गयी हैं। इनके आकार क्रमशः 100x100 मीटर तथा 80x60 मीटर हैं। खेल मैदान के आकार में मौके की स्थिति के अनुसार तब्दीली की जा सकती है बशर्ते कि खेल मैदान का क्षेत्रफल 4,000 वर्गमीटर से कम न हो।

V बैठक व्यवस्था हेतु 10x1 मीटर की ईंट/क्रांक्रीट की बेंच एवं पृथक-पृथक पुरुष तथा महिला मूत्रालय का निर्माण के लिए लागत रु. 33,000/- निर्धारित की जाती है। खेल का मैदान विकसित करने के लिए प्रति वर्गमीटर रु. 32/- मानक लागत निर्धारित की जाती है।

VI खेल मैदान 100x100 मीटर अर्थात् 10,000 वर्गमीटर का होने की दशा में मैदान की लागत रु. 3,20,000 एवं बैठक व्यवस्था तथा मूत्रालय निर्माण की लागत रु. 33,000 कुल लागत रु. 3,53,000 होगी। यदि खेल मैदान का आकार 80x60 मीटर अर्थात 4800 वर्गमीटर हो तो लागत रु. 1,53,600+33,000 कुल रु. 1,86,600 होगी।

2. राज्य शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निम्नानुसार समयसीमा निर्धारित की जाती है:-
   (अ) जिन पंचायतों में खेल के मैदान विकसित नहीं किए गए हैं उनमें खेल मैदान विकसित करने के लिए ग्राम पंचायत द्वारा उपयुक्त स्थल का चयन करने के लिए समयसीमा- 31 दिसम्बर 2016
   (अ) जिन पंचायतों में खेल के मैदान विकसित नहीं किए गए हैं उनमें तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति देने के लिए समयसीमा- 15 जनवरी 2017
   (स) निर्माण कार्य प्रारंभ करने के लिए समयसीमा - 26 जनवरी 2017.
   (द) निर्माण कार्य पूर्ण करने के लिए समयसीमा - 31 मई 2017.
3. आपसे अपेक्षा है कि जिले की सभी ग्राम पंचायतों में वर्षा ऋतु के पूर्व खेल मैदान बनाने का लक्ष्य को प्राप्त करें। वीडियो कांफ्रेंस में मैं प्रगति की नियमित समीक्षा करूंगा।

(राधेश्याम जुलानिया)
विकास आयुक्त
मध्यप्रदेश

पंच-परमेश्वर योजनान्तर्गत सड़क और नाली निर्माण के लिए दिशा-निर्देश

मध्यप्रदेश में ग्राम पंचायतों में अधोसंरचनात्मक निर्माण जैसे, सीसी सड़क, पक्की नाली आदि बनाने के लिए पंच-परमेश्वर योजना चलाई जा रही है। राज्य शासन द्वारा इस योजना के तहत सीसी सड़क और पक्की नाली के निर्माण के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, जिनका मध्यप्रदेश पंचायिका में यथावत प्रकाशन किया जा रहा है।

विकास आयुक्त कार्यालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक : 7505/22/वि-10/ग्रायांसे/2016 **भोपाल, दिनांक 24.12.2016**

प्रति,

1. कलेक्टर (समस्त), मध्यप्रदेश।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत (समस्त) म.प्र.
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत (समस्त) म.प्र.

विषय :- पंच-परमेश्वर योजना CC सड़क एवं पक्की नाली निर्माण दिशा-निर्देश।
संदर्भ :- विभाग का पत्र क्रमांक /335/475/2016/22/पं-1, दिनांक 14.12.2016

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र में ग्रामों के आबादी क्षेत्र में आंतरिक मार्गों में CC सड़कें तथा पक्की नाली बनाने के लिए 70:30 के अनुपात में राशि की व्यवस्था के निर्देश निहित हैं। आंतरिक मार्गों में CC सड़कें तथा पक्की नाली बनाने के लिए निम्नानुसार निर्देश प्रसारित किए जाते हैं :-

1. प्रशासकीय एवं तकनीकी स्वीकृति

1.1 प्रत्येक ग्राम के लिए एक डीपीआर परिशिष्ट-1 में निर्धारित प्रपत्र में बनाई जाए। डीपीआर में ग्राम के आबादी क्षेत्र के ऐसे सभी आंतरिक मार्ग जिनमें वर्तमान में CC सड़कें नहीं हैं उन्हें शामिल किया जाए। पूर्व निर्मित CC सड़क को शामिल नहीं किया जाए।

1.2 आवश्यक CC सड़क एवं पक्की नाली का आकलन उपयंत्री द्वारा मौके पर माप लेकर किया जाए। नमूना सत्यापन जनपद पंचायत में पदस्थ ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के सहायक यंत्री द्वारा किया जाए।

1.3 प्रमुख अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा CC सड़क तथा पक्की नाली निर्माण के लिए तकनीकी मानक तय करते हुए CC सड़क की मानक लागत रु. 800 प्रति वर्गमीटर और पक्की नाली की मानक लागत रु. 550 प्रति वर्गमीटर निर्धारित की गई है। लागत में आगामी 2 वर्षों में संभावित मूल्यवृद्धि शामिल है। मानक लागत के आधार पर डीपीआर में निर्माण कार्य की लागत निर्धारित की जाए। यह स्पष्ट किया जाता है कि नाली की लागत केवल क्षेत्र की लम्बाई एवं चौड़ाई के आधार पर तय की जाना है। उदाहरण के लिए, 100 मीटर लम्बाई में आधा मीटर चौड़ी और एक फिट गहरी नाली बनाने के लिए क्षेत्रफल 100x0.50 अर्थात 50 वर्गमीटर होगा और रु. 550 प्रति वर्गमीटर की दर से लागत रु. 27,500 होगी।

1.4 निर्माण कार्य की लागत का 85 प्रतिशत सामग्री अंश एवं 15 प्रतिशत मजदूरी अंश माना जाए।

1.5 परिशिष्ट-1 में दर्शाए डीपीआर पत्रक में उपयंत्री एवं सहायक यंत्री के हस्ताक्षर होने पर इसे तकनीकी स्वीकृति माना जाएगा। तकनीकी स्वीकृति के लिए पृथक से दस्तावेज बनाने या नस्ती संधारित करने की आवश्यकता नहीं है।

1.6 प्रत्येक ग्राम की डीपीआर बनाने के उपरांत ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव पारित कर प्रस्ताव क्रमांक एवं ग्राम पंचायत की मुद्रा के साथ डीपीआर में सरपंच एवं सचिव के हस्ताक्षर किये जाएं। इसे प्रशासकीय स्वीकृति माना जाएगा।

1.7 परिशिष्ट-1 में दर्शाए प्रपत्र में डीपीआर (टीएस तथा प्रशासकीय स्वीकृति सहित) दो प्रतियों में बनाई जाए। एक प्रति ग्राम पंचायत में रखी जाए और एक प्रति जनपद पंचायत को भेजी जाए।

1.8 ग्राम पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव का डीपीआर प्रपत्र (परिशिष्ट-1) में इन्द्राज होने के उपरांत निर्माण कार्य प्रारंभ किया जा सकेगा।

1.9 सामान्यतः ग्रामों में आवश्यक CC सड़कें एवं पक्की नाली की लागत ग्राम पंचायत के प्रशासकीय स्वीकृति की सीमा रु. 15 लाख से अधिक होगी। अतः जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत के सभी ग्रामों की डीपीआर को संकलित कर संलग्न परिशिष्ट-2 में दर्शाए अनुसार प्रपत्र में एकजाई सूची (गोशवारा) बनाकर दो प्रतियों में एकल नस्ती में जिला पंचयत से प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त करेंगे। इस स्वीकृति को पुस्तक के रूप में जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत में रखा जाए।

1.10 यदि किसी ग्राम के लिए डीपीआर में लागत रु. 30 लाख से अधिक आती हो तो मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत स्वयं स्थल निरीक्षण कर आवश्यकता प्रमाणित करेगा। जिले में ऐसे ग्रामों में से 10 प्रतिशत ग्रामों का स्थल निरीक्षण मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत करेगा।

2. निर्माण

2.1 पंच-परमेश्वर योजना के तहत ग्राम पंचायत द्वारा CC सड़कें एवं पक्की नाली की लागत 70:30 के अनुपात में वहन की जाने से प्रदेश के सभी ग्रामों में आगामी 2 से 3 वर्ष में आबादी क्षेत्र के आंतरिक मार्गों का सीमेन्टीकरण किया जा सकता है।

2.2 ग्राम पंचायत से यह अपेक्षा है कि वे अनुसूचित जाति की बस्तियों में आंतरिक मार्गों में CC सड़कें एवं पक्की नाली बनाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दें।

2.3 निर्माण कार्य ग्राम पंचायत द्वारा किया जाएगा। प्रशासकीय स्वीकृति की राशि रु. 15 लाख से अधिक होने की दशा में ग्राम पंचायत द्वारा संपादित किए जाने वाले कार्यों के लिए निर्धारित वित्तीय सीमा शिथिल मानी जाएगी।

2.4 निर्माण के लिए प्रमुख अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा तकनीकी मापदंड एवं दिशा-निर्देश पृथक से जारी किए जा रहे हैं। निर्माण कार्य कराने में इन दिशा-निर्देशों का अनिवार्यतः पालन किया जाए ताकि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता अच्छी हो।

3. **मूल्यांकन**

3.1 निर्मित CC सड़क की लंबाई एवं चौड़ाई का तथा निर्मित पक्की नाली की लंबाई एवं चौड़ाई का पृथक-पृथक माप लेते हुए वर्गमीटर में क्षेत्रफल निकालकर निर्माण कार्य का माप लिया जाए।

3.2 निर्माण कार्य का मूल्यांकन प्रमुख अभियंता द्वारा उपरोक्त बिन्दु 1.3 में उल्लेखित प्रति वर्गमीटर मानक निर्माण लागत पर किया जाए।

3.3 सामग्री खरीदी एवं मजदूरी भुगतान आदि के देयक संधारित करना आवश्यक नहीं होगा।

3.4 संपन्न कराए गए कार्यों का माप एवं मानक लागत के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा और कार्य सम्पन्नता के प्रमाण पत्र (परिशिष्ट-3) को देयक के रूप में मान्य किया जाएगा।

3.5 निर्माण कार्यों का मूल्यांकन संपन्न किए गए कार्यों के माप के आधार पर ग्राम पंचायत की समिति द्वारा किया जाएगा। निर्माण कार्य की गुणवत्ता की निगरानी निर्माण समिति के अध्यक्ष, संबंधित वार्ड के निर्वाचित प्रतिनिधि एवं ग्राम पंचायत का सचिव करेगा। यह समिति मूल्यांकन भी करेगी। यदि ग्राम पंचायत चाहे तो किसी अन्य निर्वाचित सदस्य को भी इस समिति में रख सकती है।

3.6 उक्त समिति निर्माण के दौरान कार्यों के माप, क्रांक्रीट की मोटाई, निर्माण के दौरान गुणवत्ता, सीमेन्ट-गिट्टी एवं रेती के अनुपात आदि का समय-समय पर सत्यापन करेगी।

3.7 निर्माण कार्य निर्धारित क्रांक्रीट से कम मोटाई का अथवा घटिया पाए जाने की दशा में समिति के सभी सदस्य संयुक्त रूप से जिम्मेदार होंगे और धनराशि उनसे वसूली की जा सकेगी।

3.8 कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र प्रत्येक गली/मोहल्ला के लिए परिशिष्ट-4 में पृथक-पृथक दर्शाए प्रारूप में जारी किया जाए।

4. **अभियंताओं की जिम्मेदारी**

4.1 उपयंत्री अथवा सहायक यंत्री द्वारा निर्माण कार्यों के लिए लेआउट दिया जाना अथवा निर्माण का मूल्यांकन किया जाना अनिवार्य नहीं होगा।

4.2 ग्राम पंचायत द्वारा सहयोग मांगे जाने पर उपयंत्री लेआउट देने के लिए बाध्य होगा।

4.3 उपयंत्री भी निर्मित कार्यों का माप लेगा तथा ग्राम पंचायत के द्वारा लिए गए माप और उपयंत्री के द्वारा लिए गए माप में अंतर होने की दशा में ग्राम पंचायत के साथ-साथ जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को अनिवार्यतः सूचित करेगा।

4.4 उपयंत्री निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सतत निगाह रखेगा तथा गुणवत्ता में कमी की दशा में ग्राम पंचायत के सरपंच, जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तथा जनपद पंचायत के सहायक यंत्री को तत्काल सूचना देगा।

4.5 निर्माण कार्य की गुणवत्ता अपेक्षित गुणवत्ता से कम होकर स्वीकार योग्य नहीं होने की दशा में उपयंत्री/सहायक यंत्री निर्माण कार्य रोक सकेगा और कार्यपालन यंत्री के निरीक्षण के उपरांत उनके निर्देशानुसार सुधार कार्य के लिए ग्राम पंचायत बाध्य होगी।

4.6 समय-समय पर गुणवत्ता संबंधी आवश्यक परीक्षण करना/कराना उपयंत्री की जिम्मेदारी होगी।

4.7 सहायक यंत्री एवं कार्यपालन यंत्री औचक निरीक्षण करके तथा मार्गदर्शन देकर गुणवत्ता सुनिश्चित कराएंगे।

संलग्न - चार परिशिष्ट।

(राधेश्याम जुलानिया)
विकास आयुक्त
मध्यप्रदेश

परिशिष्ट-1

ग्राम ....

ग्राम पंचायत ...., जनपद पंचायत...

तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति

ग्राम के आंतरिक मार्ग की सी.सी. सड़क एवं नाली निर्माण के लिए

(अ) कार्य का विवरण एवं लागत का प्राक्कलन :-

(क्षेत्र मीटर में एवं राशि रु. में)

अनु. क्र.	गली/मोहल्ला का नाम	सी.सी. सड़क					पक्की नाली					योग लागत राशि
		लम्बाई	चौड़ाई	क्षेत्रफल वर्गमीटर	मानक लागत प्रति वर्गमीटर	लागत राशि	लम्बाई	चौड़ाई	क्षेत्रफल वर्गमीटर	मानक लागत प्रति वर्गमीटर	लागत राशि	
1.												
2.												
3.												
4.												
5.												
6.												
7.												
8.												
9.												
10.												
	योग											

(ब) तकनीकी स्वीकृति :-

उपयंत्री द्वारा माप लेने का दिनांक ....

सहायक यंत्री द्वारा किसी एक मोहल्ला/गली के माप का सत्यापन दिनांक ....

हस्ताक्षर
नाम
पदमुद्रा

हस्ताक्षर
नाम
पदमुद्रा

(स) प्रशासकीय स्वीकृति :-

ग्राम पंचायत का प्रस्ताव क्र. ....दिनांक ....

हस्ताक्षर
नाम
सचिव
पदमुद्रा

हस्ताक्षर
नाम
सरपंच
पदमुद्रा

परिशिष्ट-2

कार्यालय जिला पंचायत ....

क्र. ....   दिनांक ....

प्रशासकीय स्वीकृति

जनपद पंचायत ....

विषय - जनपद पंचायत .... के ग्रामों के आंतरिक मार्गों की सी.सी. सड़कों एवं नालियों के निर्माण कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति।

(क्षेत्रफल वर्गमीटर में एवं राशि रुपये में)

अनु. क्र.	ग्राम का नाम	सी.सी. सड़क		पक्की नाली		योग
		क्षेत्रफल	लागत	क्षेत्रफल	लागत	
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
	योग					

हस्ताक्षर

नाम..................

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

जनपद पंचायत..................

पदमुद्रा

हस्ताक्षर

नाम..................

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

जिला पंचायत..................

पदमुद्रा

परिशिष्ट-3

ग्राम पंचायत ...., जनपद पंचायत..

सी.सी. सड़क एवं पक्की नाली निर्माण का देयक

प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पत्र क्र. 7418/22/वि-10/ग्रायांसे/2016 दि. 24.12.2016 में दिए गए दिशा-निर्देशों के तहत एवं प्रमुख अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा निर्धारित तकनीकी दिशा-निर्देशों एवं मापदण्डों का पालन करते हुए आवश्यक सामग्री एवं मजदूरी की व्यवस्था कर निम्न तालिका में दर्शाई सीसी सड़क एवं पक्की नाली का निर्माण कराया गया है :-

गली/मोहल्ला का नाम	सी.सी. सड़क				पक्की नाली				योग व्यय राशि
	लम्बाई	चौड़ाई	क्षेत्रफल वर्गमीटर	व्यय राशि	लम्बाई	चौड़ाई	क्षेत्रफल वर्गमीटर	व्यय राशि	
योग									

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त तालिका में दर्शाई धनराशि का व्यय तालिका में दर्शाए निर्माण कार्यों के लिए सामग्री क्रय करने, सामग्री की व्यवस्था करने, परिवहन करने एवं कारीगर तथा मजदूरों की व्यवस्था में किया गया है।

हस्ताक्षर
नाम
सचिव
पदमुद्रा

हस्ताक्षर
नाम
सरपंच
पदमुद्रा

सत्यापन

मैंने निर्माण कार्य का समय-समय पर निरीक्षण किया और निर्माण कार्य मानक गुणवत्ता का पाया है।

हस्ताक्षर उपयंत्री
नाम
दिनांक

परिशिष्ट-4

ग्राम ....

ग्राम पंचायत ...., जनपद पंचायत................

पूर्णता प्रमाण पत्र

ग्राम के आंतरिक मार्ग की सी.सी. सड़क एवं नाली निर्माण का

प्रमाणित किया जाता है कि निम्न तालिका में दर्शाया गया कार्य गुणवत्ता पूर्वक सम्पन्न किया गया है :-

(क्षेत्र मीटर में एवं राशि रु. में)

अनु. क्र.	गली/मोहल्ला का नाम	सी.सी. सड़क					पक्की नाली					योग व्यय राशि
		लम्बाई	चौड़ाई	क्षेत्रफल वर्गमीटर	दर प्रति वर्गमीटर	व्यय राशि	लम्बाई	चौड़ाई	क्षेत्रफल वर्गमीटर	दर प्रति वर्गमीटर	व्यय राशि	
1.												
2.												
3.												
4.												
5.												
6.												
7.												
8.												
9.												
10.												
	योग											

हस्ताक्षर
नाम सचिव
दिनांक
पदमुद्रा

हस्ताक्षर
नाम सरपंच
दिनांक
पदमुद्रा

हस्ताक्षर
नाम उपयंत्री
दिनांक
पदमुद्रा

हस्ताक्षर
नाम सहायक यंत्री
दिनांक
पदमुद्रा

पंच-परमेश्वर योजनान्तर्गत राशि के उपयोग के संबंध में दिशा-निर्देश

मध्यप्रदेश शासन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में अधोसंरचनात्मक विकास के लिए पंच-परमेश्वर योजना चलाई जा रही है। इस योजनान्तर्गत ग्राम पंचायतों को विकास कार्यों के लिए राशि का आवंटन किया जाता है। ग्राम पंचायतें इस राशि का उपयोग कैसे करें, इस संबंध में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, जिन्हें मध्यप्रदेश पंचायिका में यथावत प्रकाशित किया जा रहा है।

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्रमांक : 335/475/2016/22/पं-1 **भोपाल, दिनांक 15/12/2016**

प्रति,

1. कलेक्टर (समस्त), मध्यप्रदेश
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, (समस्त) म.प्र.
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, (समस्त) म.प्र.

विषय :- पंच परमेश्वर योजना वर्ष 2016-2017 से प्राथमिकताएं।

संदर्भ :- 14वें वित्त आयोग अंतर्गत प्राप्त राशि के उपयोगे संबंध में जारी दिशा निर्देश क्रमांक /335/475/2016/22/पं-1 दि. 04.03.2016

पंच-परमेश्वर योजना का उद्देश्य ग्रामों में मूलभूत सुविधाओं का सर्वांगीण विकास करना है। उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा 14वें वित्त आयोग की राशि के उपयोग के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं जो पंच-परमेश्वर योजना का अंश है।

2. पंच-परमेश्वर योजना के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए आबादी के मान से वित्तीय वर्ष में निम्नानुसार न्यूनतम अनुदान राशि प्रदाय की जाती है:-

क्रमांक	जनसंख्या	राशि
1.	2000 तक	5.00 लाख
2.	2001-5000	8.00 लाख
3.	5001-10,000	10.00 लाख
4.	10001 से अधिक	15.00 लाख

3. पंच-परमेश्वर योजना के तहत ग्राम पंचायतों को विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त होने वाली धनराशि का उपयोग मूलभूत अधोसंरचना को विकसित करने के लिए इस प्रकार किया जाना है कि चयनित अधोसंरचनाओं के संबंध में परिपूर्णता (saturation) की स्थिति प्राप्त की जाए। निश्चित समयावधि में चिन्हित मूलभूत अधोसंरचना सुविधाओं के परिपूर्णता (saturation) की स्थिति प्राप्त करने के उद्देश्य से वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 के लिए पंच-परमेश्वर योजना के तहत प्राथमिकताएं नियत करने का निर्णय लिया गया है जिनका विस्तार आगे दिया गया है।

4. **पंच-परमेश्वर योजना-ग्राम पंचायतों के दैनंदिनी कार्य हेतु अनुदान-**

ग्राम पंचायतों को 14वें वित्त आयोग के तहत प्रदाय राशि में से ग्राम पंचायतों के दैनंदिनी कार्यों के लिए वर्ष निम्न तालिका में दर्शाए अनुसार धनराशि आबद्ध रहेगी :-

(राशि रुपये में)

क्र.	कार्य/मद	जनगणना 2011 के अनुसार ग्राम पंचायत की जनसंख्या			
		200 से अधिक	2001-5000	5001-10000	10001 से अधिक
	चौकीदार तथा ग्रामों में सड़कों तथा सार्वजनिक स्थानों की सफाई व्यवस्था। इसमें पारिश्रमिक, सामग्री एवं संसाधन शामिल हैं।	30,000	45,000	80,000	1,50,000
2.	स्टेशनरी, कम्प्यूटर स्टेशनरी और सामग्री	10,000	15,000	20,000	20,000
3.	ग्राम पंचायत कार्यालय के बिजली बिल तथा बिजली संबंधी मरम्मत।	15,000	20,000	20,000	20,000
4.	ग्राम पंचायत तथा सामुदायिक भवनों का रख-रखाव एवं मरम्मत। सामुदायिक/ मांगलिक भवन का विद्युत व्यय।	25,000	30,000	40,000	50,000
5.	लेखे- जोखों का संधारण एवं डाटा एन्ट्री।	10,000	10,000	10,000	10,000
6.	टी.व्ही. कनेक्शन, सार्वजनिक पर्व/ कार्यक्रम तथा अन्य आकस्मिकताएं	10,000	30,000	50,000	50,000
	योग	**1,00,000**	**1,50,000**	**2,20,000**	**3,00,000**

टीप- उपरोक्त तालिका में दर्शाए विभिन्न कार्यो/मदों के लिए निर्धारित राशि में बचत की दशा में बचत राशि साफ-सफाई व्यवस्था हेतु व्यय की जा सकेगी।

5. पंच-परमेश्वर योजना-अधोसंरचना विकास -

ग्राम पंचायतों के दैनंदिनी कार्यों के लिए आबद्ध उपरोक्त राशि को छोड़कर 14वें वित्त आयोग की शेष समस्त धनराशि का उपयोग अधोसंरचना विकास के लिए करना बंधनकारी होगा। वर्ष 2016-17 एवं वर्ष 2017-18 के लिए अधोसंरचना विकास के निम्न कार्य लिये जा सकेंगे-

I. ग्रामों के आबादी क्षेत्र में सीमेंट क्रांक्रीट सड़कों तथा पक्की नालियों का निर्माण।

II. पंचायत भवन निर्माण।

III. शांतिधाम/कब्रिस्तान का उन्नयन (उन्नयन संबंधी दिशा-निर्देश पृथक से जारी किये जा रहे हैं।)

IV. ग्राम के आबादी क्षेत्र में LED स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था। (सौर ऊर्जा से स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था केवल उन्हीं ग्रामों में की जा सकेगी जो ग्राम विद्युतीकृत नहीं हुए हैं।)

V. पूर्व निर्मित अधोसंरचना/परिसंपत्तियों की विशेष मरम्मत/सुदृढ़ीकरण (इस हेतु एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम राशि 1.00 (एक) लाख व्यय की जा सकेगी।

6. पंच-परमेश्वर योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 के लिये प्रदेश के सभी ग्रामों के आबादी क्षेत्र में सीमेंट-कांक्रीट सड़क तथा पक्की नाली निर्माण कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का निर्णय लिया गया है। इस हेतु -

6.1 प्रत्येक ग्राम के लिए CC सड़कें एवं पक्की नाली बनाने की एकजाई डीपीआर बनाई जाए।

6.2 लागत के लिए 70:30 के आधार पर निम्नानुसार धनराशि की व्यवस्था होगी:-

6.2.1 ग्राम पंचायत को लागत की 70 प्रतिशत धनराशि लगानी होगी। इसके लिए निम्न स्त्रोत उपलब्ध हैः-

(i) 14 वें वित्त आयोग की धनराशि;

(ii) जिलों को जिला खनिज न्यास में मिलने वाली खनिज रायल्टी;

(iii) जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत को राज्य शासन से दिए जाने वाले मूलभूत अनुदान की राशि; तथा

(iv) ग्राम पंचायत की स्वयं की आय तथा अन्य स्त्रोत।

6.2.2 राज्य स्तर से 30 प्रतिशत राशि दी जाएगी।

6.2.3 जो ग्राम पंचायत 30 जून 2017 के पूर्व ओडीएफ हो जाएगी उसके लिए 10 प्रतिशत अतिरिक्त राशि राज्य स्तर से उपलब्ध कराई जाएगी। ऐसी ग्राम पंचायत को 30+10 कुल 40 प्रतिशत राशि राज्य स्तर से दी जाएगी और ग्राम पंचायत 60 प्रतिशत धनराशि की व्यवस्था करेगी।

6.3 जिन ग्राम पंचायतों में एक वित्तीय वर्ष में उपलब्ध धनराशि से ग्राम पंचायत के आबादी क्षेत्र के लिए CC सड़कें एवं पक्की नाली बनाने का कार्य पूर्ण करना संभव नहीं होगा उनमें आगामी तीन वर्षों में अर्थात 2018-19 तक कार्य पूर्ण करना होगा।

6.4 ग्राम पंचायत द्वारा 70:30 (अथवा 60:40 जैसी स्थिति लागू हो) के अनुपात में अपने हिस्से की राशि वर्ष विशेष में व्यय करने के उपरांत ही राज्यांश की राशि दी जाएगी।

6.5 ग्रामवार बनाई जाने वाली डीपीआर की लागत रु. 15.00 लाख से अधिक होने की दशा में ग्राम पंचायत के प्रस्ताव के उपरांत सक्षम स्तर से प्रशासकीय स्वीकृति जारी की जाएगी।

6.6 निर्माण कार्य यथासंभव ग्राम पंचायत द्वारा किया जाएगा भले ही प्रशासकीय स्वीकृति राशि रु. 15.00 लाख से अधिक की हो।

7. डी.पी.आर. संबंधी समस्त कार्यवाही पंचायत दर्पण पोर्टल पर दर्ज की जावेगी तथा कार्य की प्रगति एवं राशि के उपयोग की गणना भी पंचायत दर्पण पोर्टल के माध्यम से की जावेगी।

8. उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) प्रक्रिया का भाग होगी।

(राधेश्याम जुलानिया)
अपर मुख्य सचिव
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग